



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223293
CG-DL-E-24112020-223293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942

No. 337]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2020

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एसएसआर 04/2020

विषय: कोरिया गणराज्य से एक्रीलोनाइड्राइल बुटाडीन रबड़ के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा - अन्तिम जांच परिणाम

1. फाइल सं. 7/5/2020- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:
2. मैसर्स एफ्कोटैक्स इंडस्ट्रीज लिमि. (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है) ने टीपीएम कंसल्टेंट्स के माध्यम से समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे यहां “अधिनियम” भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे यहां आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसरण में कोरिया गणराज्य

(जिसे यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)” (जिसे यहां आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे “प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

3. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क लागू रखना जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए तथा यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित पाटनरोधी अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 7/5/2020- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

क. मामले की पृष्ठभूमि

4. प्राधिकारी द्वारा कोरिया गणराज्य और जर्मनी से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच दिनांक 15 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं. 9/1/95- एडीडी के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 दिसंबर, 1996 को प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे जिसमें कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)” के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 17 जुलाई 1997 को अपने अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचित किए जिसमें कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)” के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। दिनांक 30 जुलाई 1997 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 62/1997 – सीमाशुल्क के तहत संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
5. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य और जर्मनी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)” पर अन्तिम पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के मामले पर एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी और दिनांक 21 सितम्बर 2002 की अधिसूचना सं. 50/1/2000 के तहत संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की गई तथा 10 अक्टूबर 2002 की अधिसूचना सं. 111/2002 – सीमा शुल्क के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
6. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च, 2004 को कोरिया गणराज्य और जर्मनी से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की और दिनांक 6 जून 2005 की अधिसूचना सं. 15/5/2004 के तहत कोरिया गणराज्य और जर्मनी से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की तथा 1 सितंबर 2005 की अधिसूचना सं. 78/2005- सीमा शुल्क के तहत सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
7. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2007 को दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई और प्राधिकारी ने दिनांक 4 अक्टूबर 2008 की अधिसूचना सं. 15/6/2007 के तहत कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना जारी रखने की सिफारिश की तथा दिनांक 2 जनवरी 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2009 – सीमाशुल्क के तहत सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
8. प्राधिकारी ने दिनांक 31 दिसंबर 2013 की अधिसूचना सं. 15/29/2013-डीजीएडी के तहत निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30 जून 2015 की अधिसूचना सं. 15/29/2013-डीजीएडी के तहत अन्तिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई जिसमें कोरिया गणराज्य से आयातों पर निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। प्राधिकारी द्वारा अन्तिम जांच परिणामों में की गई सिफारिश के आधार पर दिनांक 4 सितंबर 2015 की अधिसूचना सं. 46/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।
9. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने दिनांक 21 अगस्त, 2020 की अधिसूचना सं. 27/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 3 दिसंबर, 2020 तक पाटनरोधी शुल्को का समय विस्तार किया।

ख. प्रक्रिया

10. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है :

- क. प्राधिकारी ने उक्त नियम 5 के उप- नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू करने से पूर्व वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 7 फरवरी, 2020 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसके तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई।
- ग. प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों और प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों पर दिनांक 7 फरवरी, 2020 की अधिसूचना की एक प्रति भेजी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से संगत सूचना प्रदान करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने अनुरोध से अवगत कराने का परामर्श दिया गया।
- घ. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों तथा भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
- ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पत्रों के साथ भेजी गई।
- च. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, दिनांक 9 मार्च, 2020 के पत्र के तहत हितबद्ध पक्षकारों अपने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए समय का विस्तार प्रदान किया। दिनांक 3 अप्रैल, 2020 तक अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया गया। इसके अलावा, दिनांक 4 अप्रैल, 2020 के पत्र के तहत दिनांक 22 अप्रैल, 2020 तक उत्तर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था।
- छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :
 - i. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.
 - ii. मैसर्स एलजी केम.
- ज. उपरोक्त के उत्तर में निम्नलिखित निर्यातकों/ उत्पादकों ने उत्तर दिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया :
 - i. मै. कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी :
 - i. मै. नू- कार्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
 - ii. मै. शक्तिमान रब रोल्स प्रा. लि.
 - iii. मै. बोनी पोलिमर्स लि.
 - iv. मै. यूनिक रबर उद्योग
 - v. मै. लखानी रबर उद्योग लि.
 - vi. मै. अलास्का टायर्स (इंडिया) लि.

- vii. मै. सुपर सील्स (इंडिया) लि.
- viii. मै. रूप रबर
- ix. मै. लायलपुर रबर मिल्स
- x. मै. फेरोलाइट ज्वाइंटिंग्स लि.
- xi. मै. गेट्स इंडिया प्रा. लि.
- xii. मै. बनको प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि.
- xiii. मै. भारत कोरब इंडस्ट्रीज
- xiv. मै. चैंपियन ज्वाइंटिंग्स लि.
- xv. मै. फेवरिट सेफ्टी प्राडक्ट्स
- xvi. मै. ग्रिंडबैक
- xvii. मै. इंडस्ट्रियल रोलर कारपोरेशन
- xviii. मै. लतिया इन्डस्ट्रियल सप्लायर्स कं. प्रा. लि.
- xix. मै. पोलिरब एक्सट्रेक्शन (इंडिया)
- xx. मै. प्रिसाइटेक्स रबर इन्ड. प्रा. लि.
- xxi. मै. आन्ध्रा पोलीमर्स (प्रा.) लि.
- xxii. मै. गोदावरी पेट्रो प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लि.
- xxiii. मै. गलैक्सी रबर प्रॉडक्ट्स
- xxiv. मै. सुन्दरम इंडस्ट्रीज लि.
- xxv. मै. सुन्दरम ब्रेकलिनिंग लि.
- xxvi. मै. सुन्दरम ऑटो कम्पोनेंट्स लि.
- xxvii. मै. सुजा रबर इंडस्ट्री प्राइवेट लि.
- xxviii. मै. राने ब्रेकलिनिंग लि.
- xxix. मै; एमआरएफ लि.
- xxx. मै. लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि.
- xxxi. मै. इंडस्ट्रियल रबर प्राडक्ट्स
- xxxii. मै. हाबासित लकोला प्रा. लि.
- xxxiii. मै. ऐल्गी अल्ट्रा इंडस्ट्रीज लि.
- xxxiv. मै. इम्पीरियल रबर प्रॉडक्ट्स
- xxxv. मै. जयश्री पोलिमर प्रा. लि.
- xxxvi. मै. के. डी. जोशी
- xxxvii. मै. परफेक्ट ऑयल सील्स ऐंड आई.आर.पी.
- xxxviii. मै. हिंदुस्तान कम्पोजिटर्स लि.
- xxxix. मै. इनारको लि.
- xl. मै. इम्पीरियल वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्रीज लि.
- xli. मै. पारकर मार्कवेल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

- ज. किसी भी आयातक, अथवा प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया है अथवा आयातक/ प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ट. उपरोक्त जांच शुरुआत के उत्तर में, निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कानूनी अनुरोध दाखिल किए गए थे:
- कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लिमि.
 - ऋषिरूप लिमिटेड और
 - ऋषिरूप पोलिमर्स प्राइवेट लिमि.
- ठ. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को दिनांक 7 फरवरी, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी :
- ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 - इंडियन फुटवियर कम्पोनेंट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएफसीओएमए)
- ड. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपने आप को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया और उन्होंने कानूनी अनुरोध दाखिल किए हैं।
- ढ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
- ण. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (9 माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तथा जांच की अवधि मानी गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने संभावना के विश्लेषण के लिए 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 तक की जांच की अवधि के बाद में प्रवृत्तियों की भी जांच की है।
- त. वाणिज्यिक आसूचना ओर सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई ऐंड एस) को जांच की अवधि सहित विगत तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के उपरांत संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा- वार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना करने के लिए और सौदों की विधिवत जांच करने के बाद अपेक्षित विश्लेषण करने के लिए डीजीसीआई ऐंड एस के डाटा पर भरोसा किया है।
- थ. सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक- III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और तर्कसंगत लाभों के आधार पर गैर- क्षतिकारी कीमत (इसके बाद इसे 'एनआईपी' के रूप में भी कहा गया है) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- द. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इस पर संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना पर गोपनीयता के रूप में विचार किया गया है जो अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था।
- ध. जहां कहीं भी एक हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना प्रदान नहीं की है अथवा जांच को काफी हद तक छिपाया है, ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना गया है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए गए हैं।

- न. प्राधिकारी ने इस अवस्था में उठाए गए सभी तर्कों और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर, जहां तक ये साक्ष्य का समर्थन करती है, विचार किया है और वर्तमान जांच के लिए संगत माना है।
- प. नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच के अनिवार्य तथ्यों को दिनांक 13 नवम्बर 2020 के प्रकटीकरण विवरण के तहत ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों को प्राधिकारी संगत पाया गया था, जिन्हें इन अन्तिम जांच परिणामों में विचार किया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण उपरांत के अधिकांश अनुरोध, विगत अनुरोधों की मात्र पुनरावृत्ति है। तथापि, प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोधों को, जहां तक ये संगत समझे गए हैं, इन अन्तिम जांच परिणामों में उनकी जांच की जा रही है।
- फ. इस अधिसूचना में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना को दर्शाता है और जिस पर नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है।
- ब. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 71.34 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

- क. एनबीआर एक्रिलोनाइट्राइल (एसीएन) और बुटाडीन का एक सिंथेटिक को पॉलिमर है। एनबीआर का उपयोग विभिन्न रबड़ की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जहां ऑयल सील, होज, ऑटोमोटिव उत्पाद, गार्केट्स, राइस डिहस्किंग, रोल, प्रिंटर, फैब्रिक, आयलफील्ड उत्पादों इत्यादि जैसे ऑयल, एब्रेशन और हीट अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधक शामिल होता है। एनबीआर के लिए अपेक्षित मुख्य कच्ची सामग्री एक्रिलोनाइट्राइल और बुटाडीन है। मूनी विस्कोसिटी और एक्रिलोनाइट्राइल कंटेंट की दृष्टि से एनबीआर का विभिन्न ग्रेड में उत्पादन किया जाता है।
- ख. यह उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सं. 40025900 के तहत वर्गीकृत है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद के दायरे से जो विशेष रूप से बाहर किए गए हैं, उनमें हैं (i) लेटेक्स एनबीआर (ii) पावर एनबीआर (iii) कार्बोसाइलेट एनबीआर।
- घ. आवेदक ने आयातित उत्पादों के समान वस्तु उत्पादित की है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातक/ उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए थे।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. विगत जांचों और वर्तमान एसएसआर जांच में विचाराधीन उत्पाद कोरिया गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर) है। आवेदक ने लेटेक्स एनबीआर, पाउडर एनबीआर और कार्बोक्जिलेटेड एनबीआर को बाहर करने के लिए अनुरोध किया है। जैसा कि अन्य इच्छुक पार्टियों में से किसी ने भी इन बहिष्करणों का विरोध नहीं किया है, तदनुसार, लेटेक्स एनबीआर, पाउडर एनबीआर और कार्बोक्जिलेटेड एनबीआर को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। एनबीआर एक्रिलोनाइट्राइल (एसीएन) और बुटाडीन एक एक सिंथेटिक रबड़ को पॉलिमर है। एनबीआर का उपयोग विभिन्न रबड़ की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जहां ऑयल सील, होज, ऑटोमोटिव उत्पाद, गार्केट, राइस डिहस्किंग, रोल, प्रिंटर, फैब्रिक, आयल फील्ड उत्पादों इत्यादि जैसे ऑयल एब्रेशन और हीट अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधक शामिल होता है।
14. एनबीआर के लिए अपेक्षित मुख्य कच्ची सामग्री के रूप में एक्रिलोनाइट्राइल और बुटाडीन है। मूनी विस्कोसिटी और एक्रिलोनाइट्राइल कंटेंट की दृष्टि से एनबीआर का विभिन्न ग्रेड में उत्पादन किया जाता है।

15. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश की आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों को परस्पर बदलकर प्रयोग में ला रहे हैं। इसे देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु माना गया था।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

16. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. आवेदक, नामतः एफ्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लि. के पास भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए 100 प्रतिशत घरेलू उत्पादन है।

ख. आवेदक ने जांच की अवधि में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।

ग. आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों अथवा संबद्ध देश में किसी निर्यातक से संबद्ध नहीं है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निर्यातक/ उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

19. यह आवेदन एफ्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने यह प्रमणित किया है कि उन्होंने जांच की अवधि में न तो संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है और न ही उनका भारत में विचाराधीन उत्पादों के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या उत्पादक से कोई संबंध है।

20. प्राधिकारी ने यह पाया है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 5 (3) के तहत आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. प्रतिवादी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2018 के व्यापार नोटिस सं. 10/2018 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों की स्पष्ट उपेक्षा करके अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय रखी गयी सूचना प्रश्नावली उत्तर का एक अनिवार्य भाग है। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग अपने हितों की संरक्षा के लिए कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

22. घरेलू उद्योग तथा उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा उत्पादन की वास्तविक लागत, इनपुट की खरीद लागत, परिवर्तन लागत इत्यादि के संबंध में ब्यौरे गोपनीय माने गए हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

23. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत सूचना की गोपनीयता के संबंध में यह प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना : (1) नियम 6 के उप नियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इस पर संतुष्ट होने पर, गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया गया है और ऐसी सूचना पर गोपनीयता के रूप में विचार किया गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों के गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

च. विविध अनुरोध**च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

25. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क) पहले ही दिए जा चुके पर्याप्त संरक्षण के संबंध में, (i) एडीडी संरक्षण नहीं है, (ii) घरेलू उद्योग को कोई अनुचित लाभ नहीं है और पाटन रोधी शुल्क एक व्यापार उपचार है, (iii) पाटन रोधी शुल्क की मात्रा अत्यधिक नहीं है और यह कानून के अनुसार है, (iv) कानून के अनुसार जब जरूरत पड़ी पाटन रोधी शुल्क लगाया गया, (v) पाटन रोधी शुल्क स अनुचित व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, (vi) प्रथम दृष्ट्या मामले के संबंध में मामला शुरु किया गया था, (vii) निर्यातकों का पाटन का एक इतिहास रहा है, (viii) यह घरेलू उद्योग पर नहीं है कि संरक्षण की जरूरत को न्यायोचित ठहराए बल्कि यह निर्यातक पर है कि वह पाटन को न्यायोचित बताए, (ix) प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षाओं को शुरु किए जाने की संख्या पर कोई सीमा नहीं पाई, (x) जिस अवधि के लिए पाटन रोधी शुल्क लागू था, उसका कोई संबंध नहीं है, और (xi) निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ साथ अन्य जांच एजेंसियों ने विगत में 10 या यहां तक कि 20 वर्षों की लंबी अवधियों के लिए पाटन रोधी शुल्क लगाया है।

ख) एल जी कैम लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इसीलिए उसे असहयोगी माना जाए। उन्हें इस विलंबित अवस्था में डीएम की गणना करने के संबंध में कोई सूचना प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ग) घरेलू उद्योग ने चीन यूरोपीय संघ, जापान और रूस से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन दाखिल किया है। आयातों की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट आने के कारण घरेलू कीमतों में गिरावट आई है। इसके कारण से लाभों, नकदी लाभों और आर ओ आई में गिरावट आई है। अन्तरिम उपाय लागू करना आवश्यक है।

घ) मौजूदा पाटन रोधी शुल्क के गैर कानूनी होने के संबंध में, मामला न्यायाधीन है।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

26 कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

- क. केसोराम रेयोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने की जरूरत से संतुष्ट होना चाहिए। निर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रक्रिया भी यही दर्शाती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई मामलों में निर्णायक समीक्षा जांच करने से इंकार किया है और कई मामलों में पाटनरोधी जांच को समाप्त होने दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई याचिका में जांच शुरू करने की जरूरत को दर्शाने के लिए सकारात्मक साक्ष्य होने चाहिए।
- ख. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की कार्यवाही गैर-कानूनी है और पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं किया जा सकता। तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच के लंबित रहते एक वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम कुम्हो मामले में गैर-कानूनी पाया गया था। अतः आगे का विस्तार गैर-कानूनी है, जिसका यह तात्पर्य भी है कि वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के बाद आगे विस्तार भी गैर-कानूनी होगा। इसका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फोरेक इंडिया लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में समर्थन किया गया है।
- ग. एनबीआर के लिए 25 वर्षों के लिए पर्याप्त व्यापार उपचार संरक्षण प्रदान किया गया था। घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति विगत 23 वर्षों में पहले ही सुधार ली गई है। याचिका में दी गई सूचना और उसके बाद के अनुरोध यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति जारी रहने की संभावना की कानूनी अपेक्षा को भी पूरा नहीं किया है। 'ड्राई सेल बैट्रीज' की निर्णायक समीक्षा जांच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह कहा है कि उनका यह प्रयास है कि पाटनरोधी शुल्क को 10 वर्षों से अधिक समय के लिए जारी नहीं रखा जाए। इस वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए अपेक्षित कोई भी विशेष/ अपवाद की परिस्थितियां नहीं हैं। कोरिया से डीएम विगत दशक में काफी कम रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह उपयुक्त है कि आगे कोई संरक्षण प्रदान न करके इसे समाप्त करे।
- घ. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को लिखित में अनुरोध करने और मौखिक सुनवाई के बाद रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया था।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रति-तर्कों को नोट किया है और किए गए अनुरोधों के सभी पहलुओं की जांच की है।
- क) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा शुल्क जारी रहने संबंधी मामले को उठाने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कितनी बार कोई निर्णायक समीक्षा जांच आयोजित की जा सकती है और पाटनरोधी शुल्क का विस्तार किया जा सकता है। नियमों के तहत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश केवल तभी की जाती है जब अपेक्षित कानूनी अपेक्षाएं पूरी हों।
- ख) वर्तमान जांच की वैधता के संबंध में तर्क के बारे में, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच दिनांक 21 अगस्त, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 27/2020- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के लिए पाटनरोधी नियमावली के तहत शुरू की गई थी।
- ग) केसोराम रेयोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच आवेदन की विधिवत् जांच करने के बाद और प्राधिकारी की इस बात की संतुष्टि होने पर शुरू की गई थी कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा अपेक्षित है।
- घ) भारत संघ और कुम्हो मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह निर्णय वर्तमान समीक्षा परिणाम के लंबित रहते एक वर्ष के लिए पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के संबंध में है। वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क को वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद बढ़ाया नहीं गया है।

- ड) जहां तक कोरिया से पाटन मार्जिन की कम मात्रा होने के संबंध में तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लगाए गए शुल्क की मात्रा अथवा विस्तारित मात्रा पाटन मार्जिन से अधिक नहीं है और पाटन मार्जिन की मात्रा के आधार पर विस्तार करने पर विचार करने का नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।
- च) जहां तक निर्यात करने वाले देशों से उत्पादकों सहित अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आवेदन दाखिल न किए जाने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने इसे सुलभ कराने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है, अथवा जांच में पर्याप्त बाधा डाली है, तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- छ) पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने और उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में दावे की, इस जांच परिणाम में उपयुक्त शीर्षा के तहत जांच की गई है।
- ज) अन्य देशों से पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के संबंध में यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने दिनांक 26 मई 2020 को चीन, यूरोपीय संघ, जापान और रूस से घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से पर्याप्त साक्ष्य सहित लिखित आवेदन के आधार पर इस उत्पाद के आयात के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू की है। वर्तमान में जांच चल रही है।
- झ) निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा 10 अथवा 20 वर्षों से अधिक समय के लिए पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच करने के बाद पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

28. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. जिस कीमत पर संबद्ध वस्तुएं साऊथ कोरिया के घरेलू बाजार में व्यापार की जाती हैं, उस कीमत के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। कोरिया में प्रचलित कीमत के कोई अन्य तर्कसंगत साक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए थे।
- ख. तथापि, कोरिया में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सका। अतः कोरिया से तीसरे देश को संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। याचिकाकर्ता ने कोरिया से वियतनाम को एफ ओ बी निर्यात कीमत पर विचार किया है।
- ग. यह महत्वपूर्ण है कि कंपनी द्वारा खपत की गई सभी कैप्टिव इनपुट का पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त और समुचित मूल्यांकन किया गया है। कुम्हो अपनी एक्रीलोनाइट्राइल की समग्र जरूरत और बुटाडीन की अपनी जरूरत बाजार से पूरी करता है। कंपनी ने पहले ब्याज आय को कम करके ब्याज व्यय की सूचना दी थी।
- घ. आवेदकों ने सी आई एफ कीमत ली है और उसे समुद्री मालभाड़ा, और समुद्री बीमा के लिए, निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समायोजित किया है।
- ड. संबद्ध देश के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण है।
- च. प्रतिवादी सूचना को छिपा रहे हैं। प्रत्येक जांच में प्राधिकारी द्वारा कुछ नई सूचना प्राप्त की गई है।
- छ. चीन जन. गण. ने कोरिया गणराज्य से एन बी आर के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच भी शुरू की थी। इस जांच में चीन जन. गण. द्वारा प्रतिवादी के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन *** % है। अन्य देशों द्वारा शुरू की गई विभिन्न जांचों में, चीन जन. गण. द्वारा की गई जांच के अलावा प्रतिवादी के लिए निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन काफी अधिक था। इतने अधिक पाटन मार्जिन और अन्य देशों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल, भारतीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क काफी

कम है। कोरिया से चीन और कोरिया से भारत को एन बी आर की निर्यात कीमत की एक तुलना से यह प्रकट होता है कि भारतीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन चीन द्वारा निर्धारित किए गए पाटन मार्जिन से अधिक होना चाहिए।

- ज. यह अस्पष्ट है कि कैसे प्रतिवादी यह दावा कर रहा है कि बुटाडीन मोनोमर की खपत कैप्टिव है, क्योंकि यह अपनी जरूरत का आधा से अधिक बाह्य स्रोतों से खरीदता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे प्रतिवादी बुटाडीन मोनोमर की कैप्टिव खपत करता है, क्योंकि संयंत्र एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर स्थित है।
- झ. घरेलू उद्योग का यह भी मानना है कि प्रतिवादी की एक सहायक कंपनी के पास सौर विद्युत संयंत्र है और प्राधिकारी को सौर विद्युत की आपूर्ति करता है। प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार से खरीदी गई सौर विद्युत की लागत की प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। घरेलू उद्योग का यह भी मानना है कि प्रतिवादी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से कम कीमत पर कोयले की खरीद करता है।
- ञ. उल्सान सिंथेटिक रबड़ प्लांट विचाराधीन उत्पाद और एनपीयूसी का उत्पादन करता है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए भांप की लागत की प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।
- ट. घरेलू उद्योग को एस जी ए लागत हिस्से के संबंध में भी चिंता है, ब्याज आय से ब्याज व्यय का समायोजन और कंपनी द्वारा पूर्व जांचों में दावा किए गए व्यापार समायोजन के स्तर के संबंध में भी सरोकार है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि चूंकि विगत जांचों में समस्याएं थी, इसलिए ये वर्तमान जांच में भी जारी रहेंगी।
- ठ. न तो कुम्हो के पास और न ही एल जी कैम के पास अपनी समग्र जरूरतों के लिए बुटाडीन है। कुम्हो कैप्टिव रूप से कतिपय आर एम का उत्पादन करता है और कैप्टिव रूप से उत्पन्न भाप का उपयोग किया है। सभी कैप्टिव इनपुट का उचित और पर्याप्त मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ड. विगत जांचों में, निर्यातक ने न तो सभी कैप्टिव इनपुट के उत्पादन की पूरी लागत प्रदान की है और न ही कैप्टिव इनपुट के पर्याप्त बाजार मूल्य की सूचना प्रदान की है।
- ढ. कुम्हो बुटाडीन का उत्पादन केवल अपनी जरूरतों के 30 प्रतिशत के लिए करता है लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्न विगत जांचों में कैप्टिव उत्पादन का दावा किया है। निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में संगत भागों में गोपनीयता का दावा किया है। यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसी सूचना की मांग की जाए और घरेलू उद्योग को प्रकट की जाए।
- ण. यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या कुम्हो क्षरा एक्रिलोनाइट्राइल के लिए सूचित किया गया मूल्य तर्कसंगत और उचित रूप से बाजार के मूल्यों को दर्शाता है। ये विशिष्ट कारणों से बाजार के मूल्यों से कम कीमत पर हो सकते हैं। विगत जांचों में उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना का छिपाया गया लगता है। ब्याज लागत और एस जी ए लागतों की गणना में विवाद बना रहा।
- त. व्यापार समायोजन दावे स्तर पर, (i) यह साबित नहीं होता कि कैसे एक बिक्री एजेंट से व्यापार के स्तर में परिवर्तन होता है, और (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व की कोई भी कार्य प्रक्रिया ऐसे समायोजनों की अनुमति नहीं देती है। कुम्हो द्वारा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में कोई भी तर्क प्रदान नहीं किया गया है और आगे के किसी भी कारण से घरेलू उद्योग की जानकारी के बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- थ. कुम्हो द्वारा आर एम के स्रोत, आर एम के मूल्यांकन और यूटिलिटी के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। यद्यपि लागतें कंपनी द्वारा प्रदान किए गए रिकार्ड के आधार पर हैं, लेकिन इनमें उत्पादन और बिक्रियों की लागत से जुड़ी लागतें समुचित रूप से दर्शायी जानी चाहिए। चीन के प्राधिकारियों द्वारा पाटन मार्जिन के निर्धारण की सूचना प्रकट की जानी चाहिए।
- द. कुम्हो ने जान बूझकर संगत पक्षकारों से प्राप्त की गयी यूटिलिटी की कीमत के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है। निर्यातक प्रश्नावली उत्तर को अत्यधिक गोपनीय, अधूरा और अपर्याप्त माना जाना चाहिए। कुम्हो के पास कैप्टिव और संबद्ध विद्युत के स्रोत हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए। कोयले की खरीद की कीमतों की उपयुक्तता और तर्कसंगतता का पता लगाया जाना चाहिए।

- ध. विद्युत की खपत के संबंध में यह दावा कि विद्युत की खरीद बाजार से की गयी है न कि संबद्ध पक्षकार से, इसकी जांच की जानी चाहिए।
- प. व्यापार समायोजन दावे स्तर पर, (i) यह साबित नहीं होता कि कैसे एक बिक्री एजेंट से व्यापार के स्तर में परिवर्तन होता है, और (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व की कोई भी कार्य प्रक्रिया ऐसे समायोजनों की अनुमति नहीं देती है। कुम्हो द्वारा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में कोई भी तर्क प्रदान नहीं किया गया है और आगे के किसी भी कारण से घरेलू उद्योग की जानकारी के बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- फ. भाप और एस जी ए की लागत को अलग करने के संबंध में, मामला भाप के मूल्यांकन का है। इसकी जांच किए जाने की जरूरत है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग के तर्कों के उत्तर में निर्यातक/ उत्पादक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. डी एम, दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के आधार पर होना चाहिए।
- ख. ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि बुटाडीन की जरूरत समग्र रूप से अथवा अधिकांश रूप से कैप्टिव रूप से पूरी की गई है।
- ग. कुम्हो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए सौर विद्युत अथवा कोयले की खपत नहीं करता है। सभी यूटिलिटी की खरीद असंगत पक्षकारों से निष्पक्ष कीमत पर की गई है। विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) और गैर विचाराधीन उत्पाद (एन पी यू सी) के लिए भाप की लागत अलग से प्रदान की गई है।
- घ. एस जी ए को अलग करने के बारे में ब्यौरे प्राधिकारी को प्रदान कर दिए गए हैं।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा विवादित लागतों के संबंध में दावे दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच के अन्तिम जांच परिणामों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा शामिल कर लिए गए थे। घरेलू उद्योग ने कोई नया साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत नहीं की है।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के लिए मांगी गई सूचना को प्रतिवादी द्वारा कानून के अनुसार, पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। इसे प्रकट करने की बाध्यता है।
- छ. यद्यपि, घरेलू उद्योग का यह दावा है कि प्राधिकारी ने विगत में सूचना छिपाई है, प्राधिकारी की किसी टिप्पणी पर भरोसा नहीं किया गया था। सभी विगत निर्णायक समीक्षा जांच में प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई लागत स्वीकार कर ली गई थी।
- ज. कम डी एम के दावों के संबंध में, घरेलू उद्योग का आरोप आधारहीन है, क्योंकि प्रतिवादी ने पी वी सी पेस्ट रेसिन और पी वी सी सस्पेंशन ग्रेड रेसिन के संबंध में जांच में भाग नहीं लिया था। फिनोल में एम टी आर के संबंध में, अन्य देशों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त कर दिया गया था। चीन की जांच की तुलना में डी एम, दोनों देशों के लिए ई पी से भिन्न होगा और अलग अलग जांच की अवधि होगी।
- झ. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 1996 से एन बी आर पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। के के पी सी ने अपनी क्षमता के अनुसार तब से वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच तक सहयोग किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के सत्यापन की भी अनुमति दी गई है। यदि डी जी टी आर द्वारा समायोजन अथवा अस्वीकरण किया जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि के के पी सी ने सहयोग नहीं किया है अथवा यह कि उसने गलत दावे किए हैं अथवा कोई सूचना छिपाई है। केवल इस कारण से कि प्राधिकारी ने कमी के संबंध में पत्र जारी किया है अथवा वह प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी ने ऐसी सूचना को छिपाया है। प्रत्येक जांच में जब भी किसी कमी के बारे में प्राधिकारी द्वारा बताया जाता है, तो प्रतिवादी ने ऐसे पत्र पर तुरंत उत्तर दिया था और प्राधिकारी के साथ सहयोग किया था।

- ज. अन्य देशों द्वारा आयाजित की गई जांचों के परिणामों, की केवल तभी तुलना की जा सकती है जब जांच की अवधि वही हो। यहां तक कि उस जांच की अवधि में उन देशों और भारत को निर्यात कीमत भिन्न हो सकती है। चीन जन. गण. द्वारा की गई जांच एक अलग अवधि के लिए थी। घरेलू उद्योग का अनुरोध बिना किसी तर्क के है अथवा यहां तक कि प्रथम दृष्टया मूल्य है।
- ट. के के पी सी ने यह दावा नहीं किया था कि बुटाडीन मोनोमर या तो पूरी तरह से कैप्टिव है या अधिकांशतः कैप्टिव है। जैसा कि हमारे कथन में उल्लिखित है, खपत किए गए बी डी का तीन चौथाई से अधिक (76%), असंगत विक्रेताओं से खरीदा गया है और केवल *** बी डी कैप्टिव स्रोतों से है। शेष *** पुनः प्राप्त किए गए अथवा पुनः प्रसंस्कृत बीडी से है। बी डी को इसके उल्सान सिंथेटिक रबड़ प्लांट में कैप्टिव तौर पर तैयार किया गया है, जहां एन बी आर का भी उत्पादन होता है। अतः हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि कृपया बुटाडीन की कैप्टिव खपत के संबंध में प्रतिवादी द्वारा प्रदान किए गए डाटा पर भरोसा करें।
- ठ. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में सौर विद्युत अथवा कोयले की खपत नहीं करता। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए खपत की गई सभी यूटिलिटी असंगत कीमतों पर असंगत पक्षकारों से खरीदी गई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग के आरोप बिना किसी साक्ष्य के आधारहीन हैं।
- ड. विचाराधीन उत्पाद (पी यू सी) और गैर-विचाराधीन उत्पाद (एन पी यू सी) को अलग-अलग उल्लिखित किया गया है। प्रत्येक लागत केन्द्र के लिए, यूटिलिटी की पहचान वास्तविक आधार पर की जाती है। इसे पी यू सी और गैर पी यू सी को उपयोग के आधार पर आगे आबंटित किया जाता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

30. धारा 9क (1) (ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;
- (ख) बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

31. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। केवल मैसर्स कुम्हो पैट्रोकेमिकल कं. लि. ने निर्धारित प्रश्नावली के उत्तरों को दाखिल करके इस जांच में सहयोग किया है।

32. संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत इस प्रकार से निर्धारित की गई है :

छ.4 सामान्य मूल्य का निर्धारण**कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.**

33. मैसर्स कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ("के के पी सी") एक सीमित देनदारी वाली कंपनी है, जो कोरियाई वाणिज्यिक कानून के तहत स्थापित की गई थी। कंपनी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करके निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है।
34. उत्तर से यह नोट किया गया है कि मैसर्स के के पी सी ने संबद्ध वस्तुएं सीधे घरेलू बाजार में असंगत उपभोक्ताओं को बेची है। यह भी नोट किया जाता है कि के के पी सी ने संबद्ध वस्तुएं सीधे भारत को निर्यात की हैं। उत्तर से यह नोट किया जाता है कि मैसर्स के के पी सी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में के आर डब्ल्यू *** प्रति कि. ग्रा. (***) यूएस डॉलर प्रति कि. ग्रा) की औसत इनवायस कीमत पर *** मी. टन संबद्ध वस्तुएं बेची हैं।
35. कंपनी ने अपने प्रश्नावली उत्तर में यह घोषणा की है कि उनके पास घरेलू बिक्री का एक माध्यम है और घरेलू बाजार में सीधे असंगत अंतिम उपयोक्ताओं अथवा असंगत वितरकों को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने सामान्य व्यापार परीक्षण किया है ताकि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ अर्जन घरेलू बिक्रियों का निर्धारण हो सके। यदि लाभ अर्जन सौदे 80 प्रतिशत से अधिक हैं, तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार करते हैं। जहां लाभकारी सौदे 80 प्रतिशत से कम हैं, वहां केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियों को ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाता है।
36. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मामलों को देखते हुए, कंपनी की उत्पादन की लागत की विस्तार से जांच की गई थी। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा की गई उत्पादन की लागत को, जहां कहीं भी दावों को अस्वीकार्य पाया गया, उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया है, । उत्पादन की संशोधित लागत को, सामान्य व्यापार जांच करने के लिए और यह निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है कि क्या लाभ अर्जन घरेलू बिक्रियां सकल घरेलू बिक्रियों का 80 प्रतिशत से अधिक है। यह पाया गया है कि कंपनी की लाभ अर्जन घरेलू बिक्रियां 80 प्रतिशत से कम थी। अतः केवल लाभकारी घरेलू बिक्रियों पर ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है।
37. मैसर्स के के पी सी ने स्वदेशी परिवहन, क्रेडिट लागत, पैकिंग लागत और व्यापार के स्तर के संबंध में समायोजनो का दावा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि के के पी सी ने प्रस्तुत की गई निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में व्यापार समायोजन के स्तर के लिए तर्कसंगत साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं। अतः व्यापार समायोजनों के स्तर पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया गया है। मैसर्स के के पी सी द्वारा दावा किए गए अन्य समायोजनो को कारखाना बाह्य स्तर पर, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किए गए कारखाना बाह्य सामान्य मूल्य को नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

38. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कोरिया गणराज्य से किसी अन्य निर्यातक/ उत्पादक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। कोरिया गणराज्य के सभी असहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए प्राधिकारी ने सचना के तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है और इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण**कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.**

39. जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स के के पी सी ने भारत को सीधे संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। मैसर्स के के पी सी ने अपेक्षित फार्मेट में सभी संगत सूचना प्रदान की है। उत्तर से यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, मैसर्स के के पी सी ने भारत को केआरडब्लू *** प्रति कि. ग्रा. (***) यूएस डॉलर प्रति कि. ग्रा) की औसत इनवायस कीमत पर ***मी. टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

40. मैसर्स के के पी सी ने स्वदेशी माल भाड़े, समुद्री माल भाड़े, बंदरगाह और अन्य संगत व्ययों, विदेशी बीमा, सीमा शुल्क ब्रोकर फीस, बिक्री कमीशन, पैकिंग व्यय, क्रेडिट लागत और बैंक प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया है और उसके लिए प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यथा निर्धारित कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

41. कोरिया गणराज्य से किसी अन्य निर्यातकों के संबंध में निर्यात कीमत, नियमावली के नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है। इस प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आई ऍंड एस द्वारा यथासूचित आयातों और उत्पादक व निर्यातकों के प्रश्नावली उत्तर में यथासूचित आयातों पर विचार किया है। निर्धारित की गई कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

छ.6 पाटन मार्जिन का निर्धारण

42. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है :

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डालर./ मी. टन)	निवल निर्यात कीमत (यूएस डालर./ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यूएस डालर./ मी. टन)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज
1	कोरिया गणराज्य	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	0-10%
2	कोरिया गणराज्य	अन्य	***	***	***	***	20-30

क्षति का निर्धारण और कारणात्मक संबंध

ज. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक गई है जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती।
44. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति मापदंडों का मूल्यांकन किया है, जो नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II के तहत अपेक्षित हैं और यह जांच भी की गई है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
45. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन मैसर्स एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दाखिल किया गया है। नियमावली के नियम 2 (ख) के अनुसार आवेदक को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। अतः नियमावली के नियम 2 (ख) में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की क्षति सूचना की जांच की गई है।

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

46. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. समूची क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है।
- ख. संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 51 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। भारत में मरंग के संदर्भ में संबद्ध आयात पर्याप्त रहे हैं।
- ग. पर्याप्त मात्रा में संबद्ध आयात, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम कीमत पर हैं। अतः संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमतों को दबा रहे हैं।
- घ. घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग, और विक्रियों में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई लेकिन जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग वर्ष 2018-19 तक तर्कसंगत लाभ अर्जित कर रहा था, लेकिन जांच की अवधि में भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है। यही प्रवृत्ति नकदी लाभों, पी बी आई टी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के मामले में देखी गई है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि में नकदी हानि और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के नुकसान का सामना कर रहा है।
- च. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में जांच की अवधि में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों में यह पर्याप्त रही है।
- छ. घरेलू उद्योग की इन्वेन्ट्री में आधार वर्ष और विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग का विकास लगभग सभी मैक्रो क्षति मानदंडों में जांच की अवधि में नकारात्मक रहा है। जांच की अवधि (क) में संबद्ध आयातों में गिरावट आने पर निर्णायक जांच में आयातों में वृद्धि की कोई जरूरत नहीं है। जांच की अवधि (क) में संबद्ध आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है और विगत वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट आई है। संबद्ध आयात सबसे बड़े स्रोत के रूप में रहे।
- झ. गिरावट और नगण्य कीमत कटौती होने के संबंध में, कोरियाई आयातों की कीमत कटौती नगण्य नहीं है।
- ञ. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन के लिए कार्यप्रणाली के संबंध में, (i) अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग की कार्यपद्धति को एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया है, (ii) कोठारी सूगर्स से तथ्यों के अन्तर की कोई स्थापना नहीं हुई, (iii) डी एम में जीरोइंग विश्व व्यापार संगठन के कानून के अनुसार असंगत है लेकिन इस बात पर तर्क करने का कोई कानूनी आधार नहीं है कि जीरोइंग वास्तव में असंगत है।
- ट. कार्य निष्पादन मापदंडों के संबंध में, उत्पादकता और रोजगार के संबंध में किसी क्षति का दावा नहीं किया गया है।
- ठ. लाभप्रदता की जांच करने के संबंध में, यह कारोबारी दृष्टि से संवेदनशील है और प्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- ड. एन आई पी और आर ओ सी ई की गणना करने पर यह स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए।
- ढ. चीन के कम कीमत के आयातों के संबंध में, चीन के खिलाफ एक अलग से याचिका दाखिल की गई है। चीन के पाटित आयात कोरिया से कारणात्मक संबंध की कमी नहीं दर्शाते। पाटन रोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए निरंतर पाटन होना और क्षति होना पर्याप्त है।
- ण. निर्यात निष्पादन के तर्क के संबंध में, घरेलू उद्योग ने निर्यात निष्पादन के संबंध में क्षति का दावा नहीं किया है।
- त. ऑटो उद्योग में मंदी के संबंध में, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति गहरी हो गई, जबकि ऑटो उद्योग की स्थिति पहले से ही मंदी के कारण संवेदनशील बनी हुई है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

47. उत्पादक/निर्यातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणामक संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :-
- क. *मेलिएबल कास्ट आयरन ट्यूब अथवा पाइप फिटिंग* के संबंध में पाटनरोधी जांच में यूरोपीय संघ को केवल पी यू की गणना करते हुए बताया गया है, गैर-क्षतिकारी सौदों को अलग करना "एक कार्य-पद्धति" है न कि "अपने आप में पूर्ण" है।
 - ख. कोठारी शूगर्स एंड कैमिकल्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में ट्रिब्यूनल ने आई एम गणना के लिए गैर-क्षतिकारी सौदों को अलग करने के लिए नियम नहीं बनाया। उस मामले के तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं।
 - ग. जीरोइंग डब्ल्यूटीओ कानून के असंगत है। ऐसे अनेक डब्ल्यूटीओ निर्णय हुए हैं। इससे आई में कृत्रिम रूप से वृद्धि होगी।
 - घ. भारत में खपत अथवा उत्पादन के संबंध में कोई वृद्धि नहीं है। खपत के संबंध में, यह क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है और जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई है।
 - ङ. वर्ष 2017-18 में सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि होने का कारण मांग में वृद्धि होना है।
 - च. कोई कीमत ह्रास अथवा दबाव नहीं है। आयात कीमत की वृद्धि दर, जांच की अवधि सहित पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री वसूली से काफी अधिक रही है।
 - छ. घरेलू बिक्रियों से बिक्री प्राप्ति में निर्यात बिक्रियों से अधिक दर पर वृद्धि हुई है। यहां तक कि याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों निर्यात के लिए बिक्रियों की लागत में वृद्धि होने के बावजूद निर्यात कीमतों कमी आई है।
 - ज. घरेलू उद्योग को क्षमता, उत्पादन और बिक्रियों में तीव्र वृद्धि का सामना करना पड़ा है।
 - झ. आयातों से घरेलू उद्योग का बाजार अंश कम नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग के बाजार अंश में भी, यहां तक कि मांग में वृद्धि से अधिक वृद्धि हो रही है। जांच की अवधि में बाजार अंश में गिरावट आने का कारण अन्य देशों के बाजार अंश में वृद्धि होना है।
 - ञ. प्रतिदिन की उत्पादकता पर कोई क्षति नहीं है। रोजगार स्थिर रहा है।
 - ट. कानून और डी जी टी आर की प्रक्रिया यह दर्शाती है कि निर्णायक समीक्षा जांच में भी कारणात्मक संबंध का विश्लेषण अनिवार्य है।
 - ठ. यदि लाभ/ हानि में गिरावट के लिए संबद्ध आयात जिम्मेदार हैं, तो पी यू के साथ कुछ सह संबंध होगा, जो कि नहीं है। आयात मात्रा और क्षति में वृद्धि के बीच कुछ सह-संबंध भी होना चाहिए, जोकि नहीं है। अनकोटेड कापी पेपर के संबंध में एसजी जांच में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आयात की मात्रा में वृद्धि और लाभप्रदता के बीच सह-संबंध की कमी बताई है, जो कारणात्मक संबंध में कमी को दर्शाता है।
 - ड. ऑटो उद्योग में मंदी के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा की गई एक आय अर्जन की प्रस्तुति में भी एनबीआर कारोबार में मंदी बताई गई है, जो ऑटो उद्योग में मंदी के कारण से है। याचिका में डाटा भी इसके बारे में दर्शाते हैं।
 - ढ. घरेलू उद्योग संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहा है। घरेलू उद्योग का कारोबार 24 वर्षों में 5 गुणा व्यवस्थित हुआ था। वर्ष 2016 में अधिग्रहण वर्ष 2017 में हुए अन्तिम अधिग्रहण अस्थिर एनबीआर कारोबार तथा संरचनात्मक मामलों को दर्शाता है। प्राधिकारी को वर्ष 1996 से, घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे स्थान संबंधी नुकसान और आर एम के परिवहन की उच्च लागत की जांच करनी चाहिए। साथ ही, घरेलू उद्योग की विस्तार योजना को पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य अनुमोदनों की प्राप्ति नहीं हो रही है।

ण. आर ओ सी ई और उसके परिणामस्वरूप, एन आई पी की गणना, एफकोटेक्स द्वारा किए गए निदेश के नवीनतम मूल्य के आधार पर की जानी चाहिए। इससे एनआईपी में कमी आएगी और आई एम दूर होगा।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव, तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव, दोनों की उद्देश्यपरक जांच करने का प्रावधान है।
49. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक कि हटा नहीं लिया जाए, उसे लगने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार, एक समीक्षा में, यह राय रखती है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, वह समय-समय पर, इस शुल्क को लगाए जाने की अवधि को आगे की पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह आगे बढ़ाई गई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी।
50. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से आयातों के संबंध में पाटन और क्षति के पहलुओं की संभावना की जांच शुरू करने से पूर्व घरेलू उद्योग को, यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच शुरू करते हैं।
51. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की जांच की है।

ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

52. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन से भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ को ध्यान में रखा है।

भारत में मांग	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	129	158	135	135
संबद्ध देश कोरिया गणराज्य	मी. टन	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330
	सूचीबद्ध	100	121	117	113	113
अन्य देशों से आयात	मी. टन	16,216	16,367	15,578	13,464	17,952
	सूचीबद्ध	100	101	96	111	111
कुल भारतीय मांग	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	116	116	116

53. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

54. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, भारत में खपत अथवा उत्पादन के सापेक्ष अथवा पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आई ऐंड एस से प्राप्त सौदा-वार आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19-दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कोरिया गणराज्य	मी. टन	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330
	सूचीबद्ध	100	121	117	113	113
अन्य	मी. टन	16,216	16,367	15,578	13,464	17,952
	सूचीबद्ध	100	101	96	111	111
कुल	मी. टन	31,504	34,794	33,494	26,462	35,282
	सूचीबद्ध	100	110	106	112	112
निम्नलिखित के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात						
कुल आयात	%	48.53	52.96	53.49	49.12	
उत्पादन	%	***	***	***	***	
खपत	%	***	***	***	***	

55. यह देखा गया है कि :

- संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद 2018-19 में और जांच की अवधि में गिरावट आई है। संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयातों में भारत में कुल आयातों का 49 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
- भारतीय उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई।
- भारत में खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई थी लेकिन उसके बाद वर्ष 2018-19 और जांच की अवधि में गिरावट आई।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा दबाने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य हालात में होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत, गैर-क्षति कीमत (एन आई पी) और निवल बिक्री वसूली की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क. कीमत कटौती

57. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से भारत आयात कीमत के साथ की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की कटौती के प्रभावों की इस प्रकार गणना की गई है:

विवरण	इकाई	कोरिया गणराज्य
पहुंच कीमत	रु/ मी. टन	1,44,794
बिक्री कीमत	रु/ मी. टन	***
कीमत कटौती	रु/ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	% रेंज	0-10

58. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में कटौती हो रही है।

ख. कीमत ह्रास और दबाव

59. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का ह्रास हो रहा है अथवा उस पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में कीमतों पर दबाव बनाना है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो सामान्य स्थिति में वृद्धि हो गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका में वास्तिक स्थिति दर्शाई गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	120	136	117
बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	119	132	104
पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	122991	152998	188263	144794
	सूचीबद्ध	100	124	153	118

60. यह देखा गया है कि :

- जबकि घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, लेकिन आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट आई है।
- आयातों की पहुंच कीमत वर्ष 2018-19 को छोड़कर, पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत से कम है।
- जबकि क्षति अवधि के दौरान लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग लागत के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ है। संबद्ध देश से आया घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं।

61. इस प्रकार यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग, बाजार में कीमतों पर ह्रासकारी प्रभाव का सामना कर रहा है।

ज.3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

62. नियमावली के अनुबंध- II के तहत यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन तथा ऐसे संकेतक शामिल हैं, जिनका उद्योग की स्थिति से कोई संबंध हो, इनमें बिक्री, लाभों, आउटपुट बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंटरी, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की योग्यता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मापदंड नीचे दिए गए हैं :

63. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को उद्देश्यपरक रूप से शामिल करते हुए क्षति मापदंडों की जांच की थी।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

64. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	114	114	114
उत्पादन मात्रा पीयूसी	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	134	163	143	143
उत्पादन मात्रा एनपीयूसी	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	132	115	115
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	118	142	125	125
बिक्री - घरेलू	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	133	163	141	141

65. यह देखा गया है कि :

- क. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई है और उसके बाद उतनी ही रही है।
- ख. उत्पादन में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां और क्षमता उपयोग में उत्पादन की तरह की ही प्रवृत्ति रही है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ii. मांग में बाजार अंश

66. घरेलू उद्योग का बाजार अंश नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग का अंश	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	113	136	116	116
संबद्ध देश का अंश	%	39.43	41.71	39.81	38.44	38.44
	सूचीबद्ध	100	106	101	98	98
अन्य देशों से अंश	%	41.82	37.05	34.62	39.83	39.83
	सूचीबद्ध	100	89	83	95	95

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। संबद्ध देश का बाजार अंश पूरी क्षति अवधि के दौरान और जांच की अवधि में लगभग वही रहा है।

iii. मालसूची (इन्वेन्टरी)

68. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
प्रारंभिक	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	56	58	50	50
अंतिम	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	104	88	126	126
औसत	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	73	69	77	77

69. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास वस्तुसूची में वर्ष 2018-19 में गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iv. लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

70. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकदी लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	रु./ मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	90	-26	-26
लाभ/ हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	149	146	-36	-36
नकदी लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	151	148	-5	-5
लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	125	-22	-22

71. यह देखा गया है कि :

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2017-18 तक सुधार आया है। इससे उसके बाद गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है।

ख. नकदी लाभ, पी बी आई टी और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में भी लाभ की तरह की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2017-18 तक नकदी लाभों, पी बी आई टी और निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है तथा जांच की अवधि में नकारात्मक स्तर तक गिरावट आई है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

72. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकतानीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसंबर 19)	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	186	235	178	178

रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	96	98	98	98
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	166	147	147
उत्पादकता प्रतिदिन	मी. टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	134	163	143	143

73. यह देखा गया है कि :

- क. क्षति अवधि के दौरान 2018-19 तक भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच की अवधि में गिरावट आई है।
- ख. वर्ष 2017-18 में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है, और उसके बाद वर्ष 2018-19 में वृद्धि हुई और जांच की अवधि में उतनी ही रही।
- ग. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

74. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि ये मापदंड घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव को नहीं दर्शाते।

vi. विकास

75. उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों की मात्रा, वस्तुसूची, लाभ, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संदर्भ में घरेलू उद्योग का विकास नीचे तालिका में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादन	वर्ष/ वर्ष	34.5	21.1	(11.9)
घरेलू बिक्रियां	वर्ष/ वर्ष	32.6	22.6	(13.5)
बिक्रियों की लागत	वर्ष/ वर्ष	19.7	13.9	(14)
बिक्री कीमत	वर्ष/ वर्ष	19	11	(21.1)
लाभ/हानि प्रति इकाई	वर्ष/ वर्ष	12.2	(19.7)	(128.5)
आरओसीई %	वर्ष/ वर्ष	8	(3.1)	(28.5)

76. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का विकास सभी मैक्रो क्षति मापदंडों में नकारात्मक था।

vii पाटन मार्जिन की मात्रा

77. पाटन की मात्रा उस सीमा का एक संकेतक है, जितना कि भारत में आयातों का पाटन हो रहा है। जांच में यह दर्शाया गया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और जांच की अवधि में पर्याप्त है।

viii. पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता

78. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उसने क्षमताओं को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। उसने यह भी सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने यद्यपि प्रतिकूल निष्पादन को नोट किया है और उत्पाद में आगे पूंजीगत निवेश को रोक कर रखने का निर्णय किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि उद्योग के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा है, जिससे पूंजीगत निवेश जुटाने के लिए इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

ix घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

79. यह देखा गया है कि भारत में आयात की कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। कोरिया और अन्य देशों के संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य, जिसकी समानांतर जांच की जा रही है, घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमतों से कम हैं। इसके अलावा, घरेलू देश में पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण बाजार में अपनी कीमतों के बनाए रखने में असमर्थ है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का महत्वपूर्ण मात्रा में ह्रास किया है।

x. कम कीमत पर बिक्री/ क्षति मार्जिन की मात्रा

80. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध- III के साथ पाटनरोधी नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एन आई पी निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद का एन आई पी घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई उत्पाद की लागत के संदर्भ में तथा जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/ डाटा को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए एन आई पी पर विचार किया गया है। गैर-क्षति कीमत के निर्धारण के लिए, कच्ची सामग्रियों और यूटिलिटी के सर्वोत्तम उपयोग पर क्षति अवधि के दौरान विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत से असाधारण अथवा गैर अवर्ती को अलग किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए शामिल औसत पूंजी (अर्थात् औसत निबल निर्धारित परिसम्पत्ति + औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से प्री-टैक्स) की प्री- टैक्स लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।
81. पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धारित की गई सीआईएफ निर्यात कीमत से सहयोगी निर्यातक के लिए पहुंच कीमत निर्धारित की गई है। आयातों की पहुंच कीमत निर्धारित करने के लिए लागू सीमा शुल्क को शामिल किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
82. उपरोक्तानुसार पहुंच कीमत और निर्धारित एन आई पी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है और इसे नीचे तालिका में प्रदान किया गया है :

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी (यूएस डालर/ मी. टन)	पहुंच कीमत यूएस डालर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन यूएस डालर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
1	कोरिण गणराज्य	कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स कं. लि.	***	***	***	***	0-10%
2	कोरिण गणराज्य	अन्य	***	***	***	***	20-30

ज.3.4 क्षति जारी रहने के संबंध में निष्कर्ष

83. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सापेक्ष दृष्टि से, संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर कटौती सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयातों का घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है लेकिन जांच की अवधि में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है और उसने जांच की अवधि में वित्तीय हानियों, नकदी हानियों तथा निवेशो पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना किया है।
84. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति का सामना करना पड़ा है।

झ. कारणात्मक संबंध

85. पाटनरोधी नियमावली के तहत, प्राधिकारी को अन्य के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जोकि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति का कारण होने की संभावना है ताकि इन अन्य कारणों से हुई क्षति पाटित आयातों के कारण से नहीं है। यद्यपि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, अतः प्राधिकारी ने यह कहा है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई अथवा क्षति होने की संभावना है। यह

जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है अथवा होने की संभावना हो सकती है।

क) पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य

86. वर्तमान में प्राधिकारी चीन, यूरोपीय संघ, जापान और रूस से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच कर रहे हैं। ये आयात प्रथम दृष्टया पाटित कीमतों पर हैं। अन्य सभी देशों से आयात उच्चतर कीमतों पर हैं अथवा अपर्याप्त मात्रा में हैं। इस प्रकार से चीन, यूरोपीय संघ, जापान और रूस के अलावा अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति होने के कारण से प्रतीत नहीं होती।

ख) मांग में कमी

87. क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा मांग में संभव कमी के कारण से है।

ग) खपत की पद्धति में परिवर्तन

88. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत की पद्धति में परिवर्तन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंध प्रक्रियाएं घरेलू उद्योग को क्षति होने के दावे के लिए जिम्मेदार हैं।

ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

90. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मौजूदगी के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं लाया है जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

91. प्राधिकारी ने केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के लिए इस पर विचार किया है। अतः निर्यात निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण नहीं है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

92. घरेलू उद्योग ने घरेलू समान उत्पाद के निष्पादन के क्षति संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और अतः क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनया गया है। यह आवेदक द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति होने का एक संभव कारक नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

ज.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

93. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. उत्पाद के संबंध में सभी पूर्व जांचों में निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन सकारात्मक रहा है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध आयात अत्यधिक हो गए हैं।

ग. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा रखी गई अधिक्य उत्पादन क्षमताएं महत्वपूर्ण हैं।

घ. कोरियाई उत्पादक अति निर्यातोन्मुखी हैं।

ड. निर्यातकों के पास अप्रयुक्त क्षमताएं हैं।

च. कोरियाई उत्पादक महत्वपूर्ण रूप से आसानी से निपटाई जाने वाली क्षमताएं रखते हैं।

- छ. चीन द्वारा कोरिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना कोरियाई उत्पादकों/निर्यातकों का अनुचित कीमत व्यवहार तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों की ओर परिणामी अन्तरण को दर्शाता है।
- ज. कुम्हो कोरिया द्वारा प्रश्नावली उत्तरों को काफी हद तक निर्मित किया है।
- झ. संबद्ध देश से उत्पादक अन्य देशों में भी पाटन कर रहे हैं।
- ञ. भारत संबद्ध देश से निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है।
- ट. निर्यातक प्रश्नावली उत्तर क्षमताओं में वृद्धि को दर्शाते हैं जबकि वर्ष 2018 तक उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में पहले से ही सरप्लस क्षमता में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में गिरावट आई है। क्षति अवधि के दौरान इन्वेंट्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ठ. चीन से भारत को व्यापार का अन्तरण होने के संबंध में, जांच की अवधि में संबद्ध आयातों वृद्धि से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोरियाई उत्पादकों के संयंत्र का अधिक उपयोग होने का कारण चीन का व्यापक बाजार होना है। अब चीन में पाटनरोधी शुल्क के साथ, गुम हो चुका बाजार भारत को लक्ष्य करेगा। साथ ही, केवल दो जांचों में जांच की अवधि में परिवर्तन होने से इसका कोई संबंध नहीं है। तुलना करते समय ई पी में परिवर्तन को शामिल किया जा सकता है।
- ड. जांच की अवधि के बाद का विश्लेषण डी जी टी आर की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है। कोविड के कथित प्रभाव को दूर करने के लिए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को एनआईपी और आरएम में परिवर्तन पर विचार करना चाहिए।
- ढ. मूल्यहास और वित्त लागतों में वृद्धि के संबंध में, जहां ब्याज लागतमें गिरावट आई है वहीं मूल्यहास में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। मूल्यहास से पूर्व और बाद में लाभों में गिरावट और ब्याज से पूर्व और बाद में लाभ काफी अधिक है।
- ण. कीमत कटौती और गलत आयातों के आधार पर क्षति मार्जिन के संबंध में, वास्तविक आयातों के संबंध में भी यह सकारात्मक है।
- त. जांच की अवधि के बाद में, क्षति की पुनरावृत्ति के लिए साक्ष्य के अभाव में, (i) जांच की अवधि के बाद में कटौती हुई है, (ii) घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में आगे गिरावट आई है, (iii) डी एम और आई एम सकारात्मक है, (iv) घरेलू उद्योग के लिए हानि और नकदी हानि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग नकारात्मक पी वी आई टी और नकारात्मक आर ओ सी ई का सामना कर रहा है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

94. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में उत्पादक/ निर्यातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :
- क. रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई भी डाटा क्षति के जारी रहने की संभावना को नहीं दर्शाते।
- ख. आयात में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है। केवल मांग के साथ वृद्धि हुई है। खपत के संबंध में कोई वृद्धि नहीं है।
- ग. कोरिया में कोई अधिक क्षमता नहीं है। घरेलू मांग और वैश्विक मांग को पूरा करने के बाद शेष बची क्षमताओं के संदर्भ में ही "सरप्लस" का उल्लेख किया जा सकता है।
- घ. कोई भी कीमत हास अथवा न्यूनीकरण नहीं है। जांच की अवधि में पीयू नकारात्मक है।
- ड. छह माह की जांच की अवधि के बाद बाजार की स्थितियां स्पष्ट नहीं है। ढाई माह तक राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू रहा। 24 मार्च, 2020 से 3 मई, 2020 तक कोई भी औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं। यहां तक कि उसके बाद भी कई उद्योगों ने कार्य न करने का निर्णय लिया है। सामान्य क्रियाकलाप केवल सितंबर, 2020 में ही पुनः शुरू हो सके।

- च. आरबीआई की आर्थिक नीति का विवरण आर्थिक क्रियाकलापों में गिरावट को दर्शाते हैं और प्रभावित मांग से तकरीबन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा है। ऐसा ही जी डी पी के अनुमानों से स्पष्ट होता है। ऑटो उद्योग भी काफी अधिक प्रभावित हुआ है। अतः छह माह की जांच की अवधि के बाद भी भरोसा करना उचित नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि जांच की अवधि के बाद सितम्बर माह में शुरू करने पर विचार किया गया है।
- छ. जांच की अवधि के बाद पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं दर्शाई गई। एन बी आर के आरएम के लिए कमोडिटी कीमतें वैश्विक रूप से प्रभावित हुई हैं। अतः एन बी आर की लागतों में कमी आई है। निर्यात कीमतें भी कम हुई हैं लेकिन वे कोरिया से संबंधित ही हैं।
- ज. जांच की अवधि के बाद क्षति की पुनरावृत्ति अथवा क्षति जारी रहने की संभावना नहीं दर्शाई गई। उत्पादन, निर्यात और घरेलू बिक्रियों में गिरावट आने का कारण बाजार में मंदी होना और मांग में गिरावट आना है। प्रतिवादियों के निर्यातों में भी गिरावट है। घरेलू उद्योग ने स्वयं ही चीन जन. गण., जापान, यूरोपीय संघ और रूस से आयातों के कारण क्षति का दावा किया है।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

95. प्राधिकारी ने धारा 9(क) (5), नियम 23 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में पर्याप्त क्षति की आशंका से संबंधित मापदंड और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों के संदर्भ में, विनिर्दिष्ट अपेक्षा पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है।
96. वर्तमान जांच कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा जांच है। नियमों के तहत यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का जारी रहना उचित है।
97. इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य संगत कारकों की भी जांच की है, जिनका कि घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना से कोई संबंध हो सकता है। घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच इस प्रकार है :-

i. जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि की दर

98. संबद्ध जांच के आयात के विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (अप्रैल 19 से दिसं. 19)		जांच की अवधि के बाद की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत	वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश - कोरिया गणराज्य	मी.टन	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330	7,593	15,187
	सूचीबद्ध	100	121	117	113	113	99	99

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के पाटन आयातों की मात्रा में वर्ष 2017-18 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद उसके बाद 2018-19 में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की यह राय है कि भारत पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समग्र जांच की अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य से उत्पाद का महत्वपूर्ण आयात हुआ है।

ii. संबंध देश में निर्यात उन्मुखी और सरप्लस क्षमताएं

100. प्राधिकारी पूर्ववर्ती पैरा में सरप्लस क्षमता और अति निर्यात उन्मुखी होने के संबंध में घरेलू उद्योग द्वार किए गए दावे को नोट करते हैं। सहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए डाटा के अनुसार, के के पी सी 80-90 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी है, जो काफी अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि केकेपीसी के पास 0-10 प्रतिशत तक की सरप्लस क्षमता है।

iii. वस्तुसूचियों (इन्वेन्ट्री) में वृद्धि

101. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा दिया गया उत्तर यह दर्शाता है कि उनके पास वस्तुसूचियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

iv. पाटन और क्षति के संबंध में संभावना का विश्लेषण

102. एकमात्र प्रतिवादी उत्पादक /निर्यातक अर्थात् कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि. ने निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली उत्तर और निर्णायक समीक्ष जांच के लिए संगत प्रश्नवली उत्तर दाखिल किया है। यह नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादक और कोरिया गणराज्य से निर्यात के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वर्तमान समीक्षा जांच सहित निरंतर समीक्षाओं के दौरान सकारात्मक रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से अन्य प्रमुख उत्पादक और निर्यातक ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान सहयोग नहीं किया है।

ट. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां

103. हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों की जांच की गई है, जिनमें ऐसी पुनरावृत्ति शामिल हैं, जिनकी इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में समुचित जांच की गई है और पर्याप्त रूप से शामिल की गई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों/ अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों और प्राधिकारी द्वारा जिन्हें संगत पाया गया, उनकी जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- क. घरेलू उद्योग द्वारा अपने लिखित अनुरोधों में विशिष्ट मुद्दे उठाए गए हैं। इन मामलों का निर्यातक द्वारा पूरी तरह से उत्तर दिया गया है और इसीलिए प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- ख. कुम्हो द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है कि एकीलोनाइट्राइल की लागत की तर्कसंगत सूचना दी गई है और उसमें बाजार के मूल्यों को उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है। वे विशेष कारण से बाजार के मूल्यों से कम कीमत पर हो सकते हैं।
- ग. बुटाडीन के मूल्यांकन के संबंध में प्रश्नावली में दिए गए मुख्य प्रश्नों को शामिल करने के लिए कुम्हो द्वारा कोई सामग्री प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, बुटाडीन के मूल्यांकन का आधार स्पष्ट नहीं है। यदि रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार लागत की सूचना दी गई है तो यह स्थापित नहीं होता कि वह लागतों में कैसे तर्कसंगत रूप से दर्शाया गया है। विभिन्न स्रोतों से बुटाडीन की खरीद के संबंध में कोई सूचना नहीं है और इस बात की भी सूचना नहीं है कि कीमत पर कैसे विचार किया गया है। यह भी उत्तर नहीं दिया गया है कि तथा विचार किया गया मूल्य केवल कैप्टिव बुटाडीन के उत्पादन की लागत अथवा बुटाडीन की खरीद कीमत अथवा दोनों का औसत है। यदि दोनों का औसत है, तो यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह सामान्य औसत का भारित औसत है अथवा कोई अन्य सूचना दी गई है।
- घ. कुम्हो ने खपत की गई अन्य सभी कैप्टिव इनपुट की पहचान नहीं की है। घरेलू उद्योग को यह जानकारी है कि कुम्हो द्वारा कैप्टिव रूप से उत्पादित किए गए और भी इनपुट हैं।
- ड. ब्याज लागत और एसजीए लागतों के मामले पर कुम्हो द्वारा अपर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है।

- च. कुम्हो के पास विद्युत का कैप्टिव और सहायक स्रोत है और घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए विचार की गई विद्युत कीमत के मामले को उठाया है। इस मामले पर कुम्हो से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- च. घरेलू उद्योग ने कोयले की खरीद कीमतों की उपयुक्तता और तर्कसंगतता के मामले को उठाया है। इस मामले पर कुम्हो से कोई उत्तर नहीं मिला है।
- छ. निर्यातक ने सुनवाई के समय यह कहा है कि इसमें लागतों को पर्याप्त रूप से सूचित किया गया है। तथापि, प्रकटीकरण विवरण यह दर्शाता है कि दावा की गई उत्पादन की लागत स्वीकार नहीं की गई है। कंपनी द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, जो घरेलू उद्योग को यह समझने की अनुमति प्रदान कर सके कि लागतों का दावा कैसे किया गया, क्या अनुपूरक सूचना दाखिल की गई थी और कैसे निर्यातक ने दावे की उपयुक्तता के संबंध में प्राधिकारी को संतुष्ट किया। प्रश्नावली उत्तर के अलावा निर्यातक द्वारा घरेलू उद्योग को कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि या तो निर्यातक ने घरेलू उद्योग के पीछे कोई सूचना दाखिल की है, या निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रश्नावली उत्तर के आधार पर कार्यवाही की है। किसी भी स्थिति के कारण घरेलू उद्योग के साथ पक्षपात किया है।
- ज. बेंचमार्क रूप और कानून तथा डी जी टी आर की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यूएस डॉलर/ कि. ग्रा. में पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा के अनुसार शुल्क लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार का शुल्क विगत जांच में लगाया गया था।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

104. प्रकटीकरण के उपरान्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निम्नलिखित अनुरोध हैं :

- क) वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की कार्यवाही गैर-कानूनी है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का कोई वैध कारण नहीं हो सकता।
- ख) तीसरी निर्णायक समीक्षा के लंबित रहने के दौरान दिनांक 23 जनवरी, 2014 को एक वर्ष के लिए शुल्कों का विस्तार करना गैर-कानूनी घोषित किया गया था।
- ग) के के पी सी के लिए गणना किया गया पाटन मार्जिन 0-10 प्रतिशत की रेंज में है। यह अनुरोध किया जाता है कि के के पी सी के लिए पाटन मार्जिन 23 वर्षों की अवधि के दौरान निरंतर काफी रहा है, जिसके दौरान कि पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है।
- घ) के के पी सी द्वारा निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना मौजूद नहीं है।
- ड) इसी प्रकार, के के पी सी के लिए गणना किया गया क्षति मार्जिन 0-10 प्रतिशत की रेंज में है। यह स्पष्ट है कि के के पी सी द्वारा किया गया निर्यात, घरेलू उद्योग को किसी क्षति का कारण नहीं है।
- च) पूरी क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा स्थिर रही है और जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) तथा जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) विगत वर्षों की तुलना में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग वर्ष 2018-19 तक बहुत ही अच्छा कर रहा था। तथापि, उसे जांच की अवधि में नुकसान का सामना करना पड़ा। इस संबंध में यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों और क्षति होने के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- छ) पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, बाजार अंश, रोजगार और मजदूरी के मापदंडों में काफी सुधार आया है। इन मापदंडों में आधार वर्ष की तुलना में, जांच की अवधि में भी सुधार जारी रहा है।
- ज) घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि उसे अन्य स्रोतों से क्षति का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण., यूरोपीय संघ, जापान और रूस से एनबीआर के आयातों के संबंध में दिनांक 26 मई, 2020 की जांच शुरुआत अधिसूचना सं. 6/18/2020- डीजीटीआर के तहत एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत की गई है।

- झ) प्राधिकारी को के समक्ष स्थान संबंधी नुकसान और उनकी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल के परिवहन में शामिल उच्च लागत को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए।
- ञ.) इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि 24 वर्षों में घरेलू उद्योग के कारोबार को 5 बार अधिग्रहण करके और विलय करके पुनः व्यवस्थित किया गया था। कारोबार का अन्तिम अधिग्रहण 2016 में ऐसी कीमत पर किया गया था, जो 2007 में अर्जित की गई कीमत से काफी कम था। यह घरेलू उद्योग के अस्थिर एनबीआर कारोबार को दर्शाता है और घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत समस्याओं की मौजूदगी को दर्शाता है।
- ट) ऑटोमोटिव उद्योग को वर्ष 2019 से मंदी का सामना करना पड़ रहा है। एनबीआर ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्ची सामग्री है और मंदी के चलते घरेलू उद्योग के कारोबार की मात्रा और मार्जिन पर प्रभाव पड़ा है। इसे घरेलू उद्योग द्वारा विभिन्न आय संबंधी प्रस्तुतियों और उसके द्वारा किए गए निवेशक के पत्राचारों में भी स्वीकार किया गया है।
- ठ) यह अनुरोध किया जाता है कि निर्यात उन्मुखी होने के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि के के पी सी द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर से देखा जा सकता है, घरेलू निर्यात बिक्रियों के लिए प्रति इकाई बिक्री की प्राप्ति लगभग वही है।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

105. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामलों के संबंध में प्राधिकारी ने संगत मापदंडों की विधिवत जांच की है और वर्तमान जांच परिणामों के संगत पैरा में अपनी जांच परिणामों में इसे दर्ज किया है। प्राधिकारी ने शेष अनुरोधों की इस प्रकार जांच की है :

- क) विगत जांचों में के के पी सी के पाटन और क्षति मार्जिन के कम रहने के संबंध में यह भी अनुरोध किया जाता है कि के के पी सी के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक रूप से जारी रहा है और वर्तमान जांच में न्यूनतम के स्तर से अधिक रह है।
- ख) मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में अनुरोधों और आर्थिक मापदंडों में सुधार के संबंध में, प्राधिकारी ने इन अन्तिम जांच परिणामों में संगत सुनवाईयों में विस्तार से इन मामलों को शामिल किया है।
- ग) के के पी सी के निर्यात उन्मुखी होने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है, लेकिन कानून रोक नहीं है, अतः यह नोट किया जाता है कि के के पी सी के लिए सकारात्मक पाटन मार्जिन सहित यह संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन की संभावना के लिए कारक के रूप में जारी रहा है।
- घ) निर्णायक समीक्षा कार्यवाही के गैर-कानूनी रहने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई और आयोजित की गई कार्यवाही नियमों के अनुसार है।
- ड.) विचार नहीं किए गए तर्कों के संबंध में, इन्हें इन अन्तिम जांच परिणामों के संगत पैरा में शामिल किया गया है और जांच की गई है।
- च) कुम्हो पैट्रोकेमिकल्स के पाटन मार्जिन संबंधी तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी हितवद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है और सभी तर्कों पर विधिवत् विचार करने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है।

ठ. पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष

106. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में सापेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं। घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार अंश में क्षति जांच की अवधि में सुधार आया है लेकिन जांच की अवधि में पर्याप्त गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के निष्पादन में जांच की अवधि के दौरान काफी

गिरावट आई है और जांच की अवधि में उसे वित्तीय हानि, नकदी हानि और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। घरेलू उद्योग को वर्तमान अवधि के दौरान निरंतर क्षति का सामना करना पड़ा है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की स्पष्ट संभावना है। कोरिया गणराज्य से सहयोगी उत्पादक और निर्यातक के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन वर्तमान निर्णायक समीक्षा सहित आगे की समीक्षाओं के दौरान सकारात्मक रूप से जारी रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से अन्य प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांचों के दौरान सकारात्मक रूप से जारी रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से अन्य प्रमुख उत्पादकों और निर्यातकों ने वर्तमान जांचों के दौरान सहयोग नहीं किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि समग्र जांच की अवधि के दौरान कोरिया गणराज्य से उत्पादों का महत्वपूर्ण आयात हुआ है। के के पी सी का निर्यात उन्मुखीकरण 80-90 प्रतिशत तक है, जो काफी अधिक है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि के के पी सी के पास 0-10 प्रतिशत की सरप्लस क्षमता है। निर्यातक से प्राप्त उत्तर यह दर्शाते हैं कि उनकी वस्तुसूचियों (इन्वेन्ट्री) में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, ये सभी मापदंड यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देश में निर्यातकों द्वारा पाटित कीमतों पर भारत में उत्पाद के निर्यात में तेजी लाने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

ड. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मामले

107. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में उत्पाद के कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपाय लागू करने से कमी नहीं आएगी। इसके प्रतिकूल, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की प्रक्रिया से प्राप्त अनुचित लाभ दूर होगा, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को व्यापक अवसर की उपलब्धता में मदद मिलेगी। सामान्यतः पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के ज़रिए घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनःस्थापित किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपाय लागू करने से संबद्ध देशों से किसी भी तरह से आयातों पर प्रतिबंध नहीं होगा और इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ढ. निष्कर्ष और सिफारिशें

108. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं :

- i. संबद्ध देश से भारत को पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का निर्यात होना जारी रहा है।
- ii. घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।
- iii. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि यदि इस समय पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/ क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना और पाटन के जारी रहने की संभावना है।

109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रयाप्त अवसर दिया गया था ताकि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान की जा सके। पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, और पाटनरोधी नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करना पाटन और क्षति को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के रूप में संशोधित के विस्तार की सिफारिश करते हैं।

110. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के संबंध में प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, में जो भी कम हो, के बराबर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध

वस्तुओं के सभी आयातों पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40025900	एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़*	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कुम्हो पेट्रोकेमिकल कं. लि.	47.43	प्रति मी. टन	यूएस डालर
2	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	क्रमांक (1) में प्रदत्त के अलावा कोई अन्य	327.12	प्रति मी. टन	यूएस डालर
3	- वही -	- वही -	कोरिया गणराज्य के अलावा कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	327.12	प्रति मी. टन	यूएस डालर

* एक्रीलोनाइट्राइल बुटाडीन रबड़ (एनबीआर)- लेटेक्स एनबीआर, पावर एनबीआर और कार्बोक्जिलेट एनबीआर को छोड़कर

ण. **आगे की प्रक्रिया**

111. केन्द्रीय सरकार के आदेश के खिलाफ इन जांच परिणामों के कारण कोई अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2020

FINAL FINDINGS

Case No. SSR 04/2020

Sub. : Sunset Review of Anti-Dumping Duty imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber from Korea RP – Final findings

1. **F. No. 7/5/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended (hereinafter referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

2. M/s Apcotex Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application, through TPM Consultants, before the Designated Authority in accordance with the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred as the Anti-Dumping Rules or Rules) for initiation of sunset review investigation concerning imports of “Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) from Korea RP (hereinafter referred to as the “subject country”).
3. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 7/5/2020-DGTR dated 7th February, 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules to review the need for continued imposition of the anti-dumping duty in respect of the subject goods, originating in or exported from Korea RP, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

A. BACKGROUND OF THE CASE

4. The original investigation concerning imports of the subject goods from Korea RP and Germany was initiated by Authority vide Notification No. 9/1/95- ADD dated 15th March 1996. The Preliminary finding was issued by the Authority on 30th December 1996, recommending provisional antidumping duty on the imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in or exported from Korea RP and Germany. The Authority notified its final findings on 17th July 1997 recommending definitive antidumping duty on the imports of NBR originating in or exported from Korea RP and Germany. The definitive antidumping duty (ADD) was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 62/1997-Customs, dated 30th July 1997
5. The Authority had initiated a sunset review in the matter of continuation of final anti-dumping duty on acrylonitrile butadiene rubber originating in, or exported from Korea RP and Germany, and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject good vide notification No. 50/1/2000 dated 21st September 2002. The definitive antidumping duty was imposed vide notification No. 111/2002-Customs, dated 10th October, 2002.
6. The Authority initiated mid-term review investigations on import of subject goods exported from Korea RP and Germany on 29th March, 2004 and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject goods from Korea RP and Germany vide notification No. 15/5/2004 dated 6th June 2005. The definitive antidumping duty was imposed vide Custom Notification No.78/2005-Customs dated 1st September, 2005.
7. The second sunset review investigation was initiated by the Authority on 8th October 2007 and the Authority recommended continued imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from Korea RP vide Notification No. 15/6/2007 dated 4th October 2008. The definitive antidumping duty was imposed vide Custom Notification No. 01/2009-Customs dated 2nd January 2009.
8. The Authority vide Notification No. 15/29/2013-DGAD Dated the 31st December 2013, initiated the third Sunset Review investigation. The Final Finding Notification was issued vide Notification No. 15/29/2013-DGAD dated 30th June 2015, recommending imposition of definitive duty against imports from Korea RP. On the basis of recommendations made by the Authority, definitive anti-dumping duty was imposed vide Notification No. 46/2015-Customs (ADD), 4th September 2015.
9. In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Central Government vide Notification No. 27/2020-Customs (ADD) dated 21st August, 2020 extended the Anti-dumping duties till 3rd December, 2020

B. PROCEDURE

10. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present sunset review application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

- b. The Authority issued a public notice dated 7th February, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating sunset review investigation concerning import of subject goods from the subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 7th February, 2020, to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user Associations and other interested parties, as per the addresses made available by the Applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules.
- e. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses vide communication dated 9th March, 2020. Additional time was extended up to 3rd April, 2020. Further, additional time for filing responses were granted till 22nd April 2020 vide communication dated 4th April 2020.
- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd.
 - ii. M/s LG Chem.
- h. In response to the above, following exporters/ producers have responded and submitted exporter's questionnaire responses:
 - i. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - i. M/s Nu-Cork Products Pvt. Ltd.
 - ii. M/s Shaktiman Rub Rolls Pvt. Ltd.
 - iii. M/s Bony Polymers Ltd.
 - iv. M/s Unique Rubber Udyog.
 - v. M/s Lakhani Rubber Udyog Ltd.
 - vi. M/s Alaska Tyres Pvt. Ltd.
 - vii. M/s Super Seals (India) Ltd.
 - viii. M/s Roop Rubber.
 - ix. M/s Layallpur Rubber Mills.
 - x. M/s FeroliteJointings Ltd.
 - xi. M/s Gates India Pvt. Ltd.
 - xii. M/s Banco Products (India) Ltd.
 - xiii. M/s Bharat Corrub Industries.
 - xiv. M/s Champion Jointings Ltd.
 - xv. M/s Favorite Safety Products.
 - xvi. M/s Grindback.

- xvii. M/s Industrial Roller Corporation.
- xviii. M/s LathiaIndl Suppliers Co. Pvt. Ltd.
- xix. M/s PolyrubExtraction (India).
- xx. M/s Precitex Rubber Ind. P. Ltd.
- xxi. M/s Andhra Polymers (P) Ltd.
- xxii. M/s Godavari Petro Products (P) Ltd.
- xxiii. M/s Galaxy Rubber Products
- xxiv. M/s Sundaram Industries Ltd.
- xxv. M/s Sundaram Breaklining Ltd.
- xxvi. M/s Sundaram Auto Components Ltd.
- xxvii. M/s Suja Rubber Industries Pvt. Ltd.
- xxviii. M/s Rane Breaklining Ltd.
- xxix. M/s MRF Ltd.
- xxx. M/s Lakshmi Machine Works Ltd.
- xxxi. M/s Industrial Rubber Products.
- xxxii. M/s HabasitlakolaPvt. Ltd.
- xxxiii. M/s Elgi Ultra Industries Ltd.
- xxxiv. M/s Imperial Rubber Products.
- xxxv. M/s Jayashree Polymer Pvt. Ltd.
- xxxvi. M/s K.D. Joshi.
- xxxvii. M/s Perfect Oil Seals & I.R.P.
- xxxviii. M/s Hindustan Composites Ltd.
- xxxix. M/s Inarco Ltd.
- xl. M/s Imperial Waterproofing Industries Ltd.
- xli. M/s Parker MarkwellInds. P. Ltd.
- j. None of the importers or users have responded or submitted importer/user questionnaire responses.
- k. In response to the above initiation, legal submissions were filed by the following interested parties:
 - i. Kumho Petrochemical Co. Ltd.
 - ii. Rishiroop Limited and
 - iii. Rishiroop Polymers Private Ltd.
- l. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 7th February, 2020 to the following known Associations of the subject goods in India:
 - i. All India Rubber Industries Association,
 - ii. Indian Footwear Components Manufacturers Association (IFCOMA).
- m. In response to the initiation notification, All India Rubber Industries Association registered itself as an interested party, and they have filed legal submissions.
- n. Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- o. The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2019 to 31st December, 2019 (9 months). The injury examination period has however been considered as

- the period from 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March, 2019 and the period of investigation. Further, the Authority has also examined the trends in post POI from 1st January, 2020-30th June, 2020 for likelihood analysis.
- p. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, including the period of investigation, and post POI which has been received by the Authority. The Authority has relied upon DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
 - q. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the cost of production and reasonable profits the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
 - r. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
 - s. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
 - t. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
 - u. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 13th November, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings
 - v. '****' in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
 - w. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 71.34.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions of the domestic industry

- 11. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
 - a. NBR is a synthetic copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are produced in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content.
 - b. This product is classified under Customs Tariff heading no. 40025900.
 - c. Specifically excluded from the scope of the product under consideration are (i) Latex NBR, (ii) Power NBR, and (iii) Carboxylate NBR.
 - d. The Applicant has produced like article to the imported products.

C.2. Submissions of other interested parties

12. No submissions were made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to product under consideration and like article.

C.3 Examination by the Authority

13. The product under consideration (PUC) in the earlier investigations as well as the present SSR investigation is Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR), originating in or exported from Korea RP. The Applicant has requested for exclusion of Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR. As none of the other interested parties have opposed these exclusions, accordingly, the Latex NBR, Powder NBR and Carboxylated NBR are excluded from the scope of the product under consideration. NBR is a synthetic rubber copolymer of acrylonitrile (ACN) and butadiene. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice dehusking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc.
14. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content.
15. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product produced by the domestic industry were treated as like article to the product under consideration imported from subject country.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**D.1 Submissions of the domestic industry**

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and standing:
- The Applicant, namely Apcotex Industries Limited, constitute 100% of the domestic production for the subject goods in India.
 - The Applicant has not imported the subject goods in the period of investigation from the subject country.
 - The Applicant is not related to any exporters in the subject country or importers of the subject goods in India.

D.2. Submissions of other interested parties

17. No submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties regarding scope and standing of domestic industry.

D.3. Examination by the Authority

18. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

19. The Application has been filed by Apcotex Industries Limited. The Applicant accounts for 100% of the Indian production. The Applicant has certified that neither they have imported the PUC from the subject country in the period of investigation nor they are related to any exporter or producer of PUC in the subject country or any importer of the PUC in India.

20. The Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

21. Following are the submissions made by the domestic industry in this regard.
- a. The responding producer/exporter has claimed excessive confidentiality in blatant disregard of the guidelines issued by the Designated Authority vide trade notice 10/2018 dated 7th September 2018. The information kept confidential by the interested party form an essential part of the questionnaire response. Due to lack of such vital information, the domestic industry is unable to offer any comment to protect their interests.

E.2. Submissions of other interested parties

22. Details regarding actual cost of production, cost of procurement of inputs, conversion costs etc. are considered as confidential by the domestic industry as well as producers/exporters.

E.3 Examination by the Authority

23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

24. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential versions of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

25. Following are the submissions made by the domestic industry.
- a) On sufficient protection already given, (i) ADD is not protection, (ii) there is no unfair advantage to DI and ADD is a trade remedy, (iii) the quantum of ADD is not excessive and is as per law, (iv) ADD was extended when required by law, (v) ADD prevents unfair trade, (vi) case initiated on prima facie case, (vii) exporters have a history of dumping, (viii) it is not on DI to justify need for protection but exporter to justify dumping, (ix) the Authority found there is no bar on number of SSRs that may be initiated, (x) the period for which ADD was in force has no relevance, and (xi) DA as well as other investigative agencies have in the past imposed ADD for periods longer than 10 or even 20 years.

- b) LG Chem Ltd. has not responded to the questionnaire and therefore be considered non-cooperative. They should not be allowed to provide any information on DM calculation at a belated stage.
- c) The DI has filed application for imposition of ADD on imports of PUC from China, EU, Japan and Russia. The significant decline in import prices has caused decline in domestic prices. This resulted in decline in profits, cash profits, and ROI. It is necessary to invoke interim measures.
- d) On illegality of existing ADD, the matter is sub-judice

F.2. Submissions of other interested parties

26. Following submission was made by Kumho Petrochemical Co. Ltd.:

- a. The Delhi HC in *Kesoram Rayon v. DA* held that the DA should be satisfied of the need for initiation of SSR. The practice of the DA also shows the same. The DA has refused to initiate SSR and let ADD lapse in several cases. The petition filed by DI should have positive evidence showing need for initiation.
- b. Present SSR proceedings are illegal and no extension of ADD can be made. Extension of ADD for one year pending third SSR was found illegal by the SC in *UoI v. Kumho*. Therefore, subsequent extension is illegal which also means extension after current SSR will also be illegal. The same is supported by Delhi HC decision in *Forech India Ltd. v. DA*.
- c. Sufficient trade remedy protection was given to NBR for 25 years. Any injury suffered by DI has already been remedied in the last 23 years. Information in petition and subsequent submissions show DI has also not met legal requirement of likelihood of continuation of material injury. In SSR investigation of 'Dry Cell Batteries', the DA stated it is its endeavor not to continue ADD for more than 10 years. The instant case does not have any special/exceptional circumstances calling for continuation of ADD. DM from Korea has been extremely low in the past decade. It is appropriate for the DA to conclude no further protection is warranted.
- d. The other interested parties were not granted sufficient time to submit written submissions and rejoinders after the oral hearing.

F.3. Examination by the Authority

27. The Authority has noted all the arguments and counter-arguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made.
- a) With regard to the issue of continued duty raised by the interested parties, the Authority notes that there is no bar on the number of times a sunset review can be conducted, and antidumping duty extended. The rules require the Authority to determine whether cessation of ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is further noted that the recommendation for extension of anti-dumping duty is made only when the requisite legal requirements are met.
 - b) With regard to the argument regarding legality of the present investigation, it is noted that the present investigation was initiated as per the AD Rules for extension of anti-dumping duty imposed under Customs Notification No. 27/2020-Customs (ADD) dated 21st August, 2020.
 - c) With regard to the decision of Hon'ble Delhi HC in *Kesoram Rayon vs. DA*, the Authority notes that the present investigation has been initiated after due examination of the application and satisfaction of the Authority that review of existing ADD is warranted.
 - d) With regard to the decision of Hon'ble Delhi Supreme Court in *UoI vs. Kumho*, the Authority notes that the said decision concerns extension of ADD for one year, pending outcome of the present review. The ADD in the present case has not been extended after expiry of the existing ADD.
 - e) As regards arguments concerning low quantum of dumping margin from Korea RP and therefore no further need for antidumping duty, the Authority notes that the quantum of duty imposed or extended does not exceed the dumping margin and the rules do not provide for considering extension on the basis of quantum of dumping margin.

- f) With regard to non-filing of application by other interested parties including producer from exporting countries, it is noted that where ever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- g) The claims with regard to continuation and recurrence of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty have been examined under appropriate headings in this findings.
- h) With regard to application of imposition of ADD from other countries, it is noted that the Authority has initiated an AD investigations concerning import of this product from China PR, EU, Japan and Russia on 26th May, 2020, on the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry. The investigation is currently in progress.
- i) With regard to ADD extending for more than 10 or even 20 years by Designated Authority or by other Authorities, it is noted that the Authority recommends ADD after examining the continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of ADD.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions of the domestic industry

28. The following submissions have been made by the Domestic Industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:

- a. Efforts were made to get information regarding the price at which subject goods are traded in the domestic market of South Korea. Efforts were also made to get any other reasonable evidence of price prevailing in Korea.
- b. However, normal value could not be determined on the basis of price prevailing in Korea. Hence, normal value has been determined on the basis of export price of subject goods from Korea to third country. The Petitioner has considered the FOB export price from Korea to Vietnam.
- c. It is vital that all captive inputs consumed by the company are adequately and appropriately valued for determination of dumping margin. Kumho sources its entire requirement of Acrylonitrile and almost half requirement of Butadiene from the market. The company had earlier reported interest expense after reducing the same for interest income.
- d. The Applicants have taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, and marine insurance to determine the export price.
- e. The dumping margin is positive and significant for the subject country.
- f. The Respondent has been suppressing the information. In every investigation, some new information is discovered by the Authority.
- g. China PR had also initiated anti-dumping investigation concerning imports of NBR from Korea RP. The dumping margin determined for the Respondent by China PR in the said investigation is **%. Apart from the investigation conducted by China PR, in various investigations initiated by other countries, the dumping margin determined for the Respondent was quite high. As opposed to such high dumping margin and anti-dumping duty imposed by other countries, the duty determined by the Indian Authority is always quite lower. A comparison of the export price of NBR from Korea to China and Korea to India reveals that the dumping margin determined by Indian Authority should be higher than what has been determined by China.
- h. It is unclear how the Respondent has been claiming that consumption of Butadiene Monomer is captive since it purchases more than half of its requirement from external sources. It is also unclear as to how the Respondent captively consumes the Butadiene Monomer since the plants are located far away from each other.
- i. The domestic industry also understands that an affiliate company of the Respondent owns solar power plant and supply the solar power to the Respondent. The cost of solar power so procured by the Respondent should be verified by the Authority. The domestic industry also understands that the Respondent purchases coal at a price lower than the international prices.

- j. Ulsan Synthetic Rubber plant produces PUC as well as NPUC. Therefore, the cost of steam attributable to the production of PUC should be verified by the Authority.
- k. The domestic industry also has concerns regarding SGA costs apportionment, adjustment of interest expenses from interest income and level of trade adjustment claimed by the company in the previous investigations. Domestic industry has claimed that since there were issues in the previous investigations, the same will be continuing in the present investigation as well.
- l. Neither Kumho nor LG Chem have butadiene for their entire requirements. Kumho captively produces certain RM and used steam captively produced. All captive inputs should be adequately and appropriately valued.
- m. In previous investigations, the exporter has neither provided full cost of production of all the captive inputs nor information to substantiate market value of captive inputs.
- n. Kumho produces butadiene only for 30% of their requirement yet they have claimed captive production in various previous investigations. The exporter has claimed confidentiality in the relevant parts in the EQR. It is requested such information is sought and disclosed to the DI.
- o. It should also be ascertained whether the value reported by Kumho for acrylonitrile reasonably and appropriately reflect market values. They could be at price below market values due to peculiar reason. Previous investigations have shown suppression of information on cost of production. Dispute remains in calculation of interest cost and SGA costs.
- p. On the level of trade adjustment claim, (i) it is not established how having a selling agent changes the level of trade, and (ii) no past practice of the DA allows such adjustment. No reasoning has been provided by Kumho in the EQR and no further reasoning without knowledge of DI should be allowed.
- q. Excessive confidentiality has been claimed by Kumho on source of RM, valuation of RM and utility. The costs, though based on records by company, should reasonably reflect costs associated with production and sales. The information on dumping margin determined Chinese authorities should be disclosed.
- r. Kumho has intentionally claimed confidentiality on pricing of utilities procured from related parties. The EQR should be held excessively confidential, incomplete, and insufficient. Kumho has captive and affiliate sources of power and the same should be examined. The appropriateness and reasonableness of coal procurement prices should be ascertained.
- s. On power consumption, the claim that power is purchased from market and not affiliated party needs to be examined.
- t. On the level of trade adjustment claim, (i) it is not established how having a selling agent changes the level of trade, and (ii) no past practice of the DA allows such adjustment. No reasoning has been provided by Kumho in the EQR and no further reasoning without knowledge of DI should be allowed.
- u. On cost of steam and SGA apportionment, the issue is the valuation of steam. The same needs to be examined.

G.2. Submissions of other interested parties

29. The following submissions have been made by the by the exporter/ producer/ other interested parties in response to the arguments of the domestic industry:
 - a. DM should be based on questionnaire response filed.
 - b. No claim is made that the requirement of Butadiene is entirely or majorly met captively.
 - c. Kumho does not consume solar power or coal for production of PUC. All utilities are purchased at arm's length price from unrelated parties. The cost of steam for PUC and NPUC has been separately provided.

- d. The details regarding the apportionment of SGA, details have been provided to the Authority.
- e. The claims on the costs disputed by the Domestic Industry were addressed by the DA in Final Findings of 2nd SSR. The Domestic Industry has not submitted any new evidence or information.
- f. The information request by the DI for disclosed are rightfully kept confidential by the respondent as per the law. There is obligation to disclose.
- g. Though DI claims respondent has suppressed information in the past, no observation of the Authority was relied on. In all previous SSR, cost provided by respondent was accepted.
- h. On claims of low DM, the allegation of DI is baseless as respondent did not participate in investigation on PVC Paste Resin and PVC Suspension Grade Resin. On MTR in Phenol, the ADD on other countries was terminated. On comparison to Chinese investigation, DM will differ with different EP for the two countries and different POI.
- i. As already stated, NBR has been subject to ADD since 1996. KKPC has cooperated from then on till the present SSR, to the best of its ability and has also permitted verification of the information submitted by them. If Adjustments or disallowances are made by the DGTR that does not mean that KKPC had not cooperated or that it had made false claims or suppressed any information. Merely because the Authority has issued deficiency letter, or it does not accept any explanation offered, it cannot be said that the Respondent has suppressed such information. In each investigation whenever any deficiency was pointed out by the Authority, the Respondent had responded to such communication promptly and cooperated with the Authority.
- j. The findings of investigations conducted by other countries may be comparable only if the period of investigation is the same. Even here the export price to those countries and India could have been different in that POI. The investigation conducted by China PR was for a different period. The submission of the DI is without any logic or even has prima facie value.
- k. KKPC had not claimed that butadiene monomer is either entirely captive or majority is captive. As indicated in our narration, [76%] more than three-fourths of BD consumed is purchased from unrelated sellers and only ** of BD is from captive sources. The balance ** is from reclaimed or reprocessed BD. The BD is captively produced at its Ulsan Synthetic Rubber plant where NBR is also produced. We, therefore, request the Authority to kindly rely on the data provided by the Respondent pertaining to the captive consumption of Butadiene.
- l. It is evident that the Respondent does not consume solar power or coal in the production of PUC. Further, all the utilities consumed for the production of PUC are purchased by the Respondent from unrelated parties at arm's length prices. Thus, the allegations of domestic industry are baseless without any evidence.
- m. The consumption of steam for production of PUC and Non-PUC has been mentioned separately. For each cost centre, utilities are identified on actual basis. It is further allocated to PUC and non-PUC based on the usage.

G.3. Examination by the Authority

30. Under section 9A (1) (c), normal value in relation to an article means:

- i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

- (b) *Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. Only M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses.

32. The normal value and export price for all producers/exporters from the subject country have been determined as below:

G.4 Determination of normal value

Kumho Petrochemical Co. Ltd.

33. M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd. (“KKPC”) is a limited liability company established under the Korean Commercial Law. The company has filed Exporter’s Questionnaire response furnishing the requisite information.

34. It is noted from the response that M/s KKPC has sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. It is also noted that KKPC has exported the subject goods directly to India. It is noted from the response that M/s KKPC, during the POI, has sold *** MT of subject goods at average invoice price of KRW ***per kg (USD ***per kg) in the domestic market.

35. In its questionnaire response, the Company has declared that they have one channel of domestic sale and sold the subject goods in the domestic market directly to unrelated end users or unrelated distributors in the domestic market. In order to determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to cost of production of subject goods. In case profit-making transactions are more than 80% then the Authority considers all the transactions in the domestic market for the determination of the normal value. Where the profitable transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are taken into consideration for the determination of normal value.

36. The Authority has taken note of various arguments raised by the interested parties. In view of concerns raised by the domestic industry, the cost of production of the company was examined in detail. The Authority has appropriately modified cost of production claimed by the exporter, wherever the claims are found unacceptable. The modified cost of production has been adopted to conduct the ordinary course of trade test and to determine whether profit making domestic sales are more than 80% of gross domestic sales. It is found that the profitable domestic sales of the company were below 80%. Therefore, only profitable domestic sales have been taken into consideration for determination of normal value.

37. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and level of trade. The Authority notes that KKPC has not provided reasonable evidences to substantiate level of trade adjustment in the EQR submitted. Therefore, level of trade adjustment has not been considered for the normal value determination. Other adjustments claimed by M/s KKPC have been accepted for determining the normal value at ex-factory level. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for Non-Cooperative Exporters

38. The Authority notes that no other exporter/producer from Korea RP has responded to the Authority in present investigation. For all the non-cooperative exporters/producers Korea RP, the Authority has determined the normal value on the basis of facts information, and the normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

G.5. Determination of export price**Kumho Petrochemical Co. Ltd.**

39. During the POI, M/s KKPC has exported the subject goods directly to India. M/s KKPC has provided all the relevant information in the requisite formats. It is noted from the response that during the POI, M/s KKPC has exported *** MT of subject goods to India at an average invoice price of KRW *** per kg (USD ***per kg).
40. M/s KKPC has claimed adjustments on account of inland freight, ocean freight, port and other related expenses, overseas insurance, custom broker fees, sales commission, packing expenses, credit cost and bank charges and the same have been allowed by the Authority. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

Export Price for Non-cooperative Exporters

41. Export price in respect of any other exporters from Korea RP has been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered imports as reported in the DGCI&S and the questionnaire response of the producer and exporters. The ex-factory export price as determined is given in the dumping margin table.

G.6 Determination of dumping margin

42. Considering the normal value and export price for subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined as follows:

Dumping Margin Table

S.NO	Country	Producer	Normal Value (USD/MT)	Net Exp. Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin %	Dumping Margin Range
1	Korea RP	Kumho Petrochemicals Co Ltd	***	***	***	***	0-10%
2	Korea RP	Other	***	***	***	***	20-30

Assessment of injury and causal link**H. EXAMINATION OF INJURY**

43. Rule 11 of the Rules read with Annexure–II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree
44. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
45. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s Apcotex Industries Limited. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicant has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, the injury information of the Applicant, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), have been examined.

H.1. Submissions of the domestic industry

46. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:
- a. Demand for the PUC increased throughout the injury period.
 - b. The imports from the subject country declined in 2018-19 and increased thereafter in the POI. Subject imports constitute 51% of total imports of the subject goods into India. The subject imports have remained significant in relation to demand in India.
 - c. Significant volumes of subject imports are below the selling price of the Domestic Industry. The subject imports are, hence, undercutting and depressing the prices of the Domestic Industry.
 - d. The capacity of the Domestic Industry increased in 2017-18. Production, capacity utilization, and sales of the Domestic Industry increased till 2018-19 but declined in the POI.
 - e. The Domestic Industry was making reasonable profits till 2018-19 but suffered huge financial losses in the POI. Same trend is seen for cash profits, PBIT and return on capital employed. The Domestic Industry is suffering cash losses and negative return on capital employed in the POI.
 - f. The market share of the domestic industry declined in the POI while that of subject imports have remained significant.
 - g. The inventories of the domestic industry have increased significantly in the POI compared to the base year as well as the previous year.
 - h. Growth of the domestic industry has been negative in the POI in almost all macro injury parameters. On decline in subject imports in the POI (A), there is no requirement of increase in imports in SSR. The subject imports in POI (A) increased compared to base year and slightly declined compared to previous year. The subject imports continue to remain the largest source.
 - i. On declining and negligible price undercutting, the price undercutting of Korean imports is not negligible.
 - j. On methodology for price undercutting and injury margin, (i) Other interested parties have admitted the methodology of the DI is one of the methods, (ii) no establishment of difference of facts from Kothari Sugars, (iii) zeroing in DM is inconsistent with WTO law but there is no legal basis to argue zeroing per se is inconsistent.
 - k. On performance parameters, no injury has been claimed on productivity and employment.
 - l. On examination of profitability, the same is business sensitive and trends have been provided.
 - m. On calculation of NIP and ROCE, the same should be as per established practice.
 - n. On low priced Chinese imports, a separate petition has been filed against China. Dumped Chinese imports do not show lack of causal link from Korea. Continued dumping and injury is sufficient to extend ADD.
 - o. On rationale of export performance, DI has not claimed injury on export performance.
 - p. On slowdown in auto industry, the dumped imports aggravated the injury on an industry already vulnerable due to slowdown in auto industry.
 - q. On structural problems of DI, the DI earned reasonable profits till 2018-19 hence baseless. There is also no location disadvantage for RM.

H.2. Submissions of other interested parties

47. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to Injury and causal link:

- a. In *Anti-dumping Investigation on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fittings*, EU only stated calculating PU excluding non-injurious transactions is “one of the methodologies” and not “end in itself”.
- b. The Tribunal in *Kothari Sugars & Chemicals Ltd v. DA*, did not lay down rule for exclusion of non-injurious transactions for IM calculation. The facts of that case are critical too.
- c. Zeroing is inconsistent with WTO law. Several WTO decisions held so. It would artificially inflate IM.
- d. No increase relative to consumption or production in India. In relation of consumption, it remained stagnant in injury period and declined in POI (A).
- e. Increase in absolute terms in 2017-18 is due to increase in demand.
- f. No price suppression or depression. The rate of increase of import price has been much higher than that of the domestic sales realization throughout the injury period, including the POI.
- g. Sales realization from domestic sales increased at higher rate than that for export sales. Even if Petitioner argument is accepted, there is no rationale why export prices reduced despite increase in cost of sales for export.
- h. DI faced sharp increase in capacity, production and sales. Capacity utilization increased too.
- i. Imports have not taken away market share of DI. DI’s market share has been increasing even more than increase in demand. Decline in market share in POI is due to increase in market share of other countries.
- j. No injury on productivity per day. Employment has been stable.
- k. The law and practice of DGTR shows causal link analysis is essential in SSR too.
- l. If subject imports are responsible for decline in profit/loss, there would be some co-relation to PU, which is absent. There should also be some co-relation between increase in import volume and injury but absent. In SG investigation on Uncoated Copy Paper, the DA stated lack of co-relation between increase in import volume and profitability shows lack of causal link.
- m. Slowdown in auto industry caused injury to DI. An Earnings Presentation made by Apcotex Industries Limited also says slowdown in NBR business is due to slump in auto industry. Data in petition reflects the same.
- n. DI is suffering from structural problems. The business of DI was restructured 5 times in 24 years. Acquisition in 2016 was at lower price than last acquisition in 2007. This shows unstable NBR business by DI and structural issues. The Authority should examine factors impacting DI since 1996 like location disadvantage and high cost of transportation of RM. Also, expansion plan of DI has not been getting environment clearance and other approvals.
- o. The ROCE and consequent NIP should be calculated based on fresh value of investment made by Apcotex. This would lower NIP and eliminate IM.

H.3. Examination by the Authority

48. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact on domestic producers of such products.
49. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.

50. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
51. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1 Volume effect of dumped imports on domestic industry

a. Assessment of demand / apparent consumption

52. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources.

Demand in India	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	129	158	135	135
Subject Country Korea RP	MT	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330
	Index	100	121	117	113	113
Imports from Other Countries	MT	16,216	16,367	15,578	13,464	17,952
	Index	100	101	96	111	111
Total Indian Demand	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	114	116	116	116

53. It is seen that the demand for the subject good has increased over the injury period

B. Import Volumes from the subject countries

54. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Factual position is as follows-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Korea RP	MT	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330
	Index	100	121	117	113	113
Others	MT	16,216	16,367	15,578	13,464	17,952
	Index	100	101	96	111	111
Total	MT	31,504	34,794	33,494	26,462	35,282
	Index	100	110	106	112	112
Subject Country Imports in relation to						
Total Imports	%	48.53	52.96	53.49	49.12	
Production	%	***	***	***	***	
Consumption	%	***	***	***	***	

55. The is seen that:

- The volume of imports from the subject country increased in 2017-18 but declined thereafter in 2018-19 and in POI . The volume of imports from the subject country has increased in period of investigation as compared to the base year.
- The imports from the subject country constitute 49% of the total imports into India.

- iii. The imports from subject country in relation to Indian production had declined in 2018-19 but increased thereafter during period of investigation.
- iv. The imports from the subject country in relation to consumption in India had increased in 2017-18 and declined thereafter in 2018-19 and POI.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

56. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a. Price undercutting

57. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject country. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows-

Particular	Unit	Korea RP
Landed Price	₹/MT	1,44,794
Selling Price	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	% Range	0-10

58. It is seen that the imports from the subject country are entering at a price below the domestic selling price of the domestic industry, resulting in price undercutting.

b. Price suppression and depression

59. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period is examined. Table below shows factual position:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	Index	100	120	136	117
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	Index	100	119	132	104
Landed Price	₹/MT	122991	152998	188263	144794
	Index	100	124	153	118

60. It is seen that

- i. Whereas the cost of production & selling price of the domestic industry has increased over the injury period, the landed price of imports has declined.
- ii. The landed price of imports is below the cost of production of the domestic industry throughout the injury period except year 2018-19.

- iii. Whereas the cost has increased over the injury period, the domestic industry is unable to increase its selling price in proportion to cost. Imports from subject country are suppressing the prices of the domestic industry.

61. It is thus noted that domestic industry is facing suppressing effect on the prices in the market.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

62. Annexure II to the Rules provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below

63. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

i. Production, capacity, capacity utilization and sale

64. The Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Capacity	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	114	114	114	114
Production Quantity PUC	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	134	163	143	143
Production Quantity NPUC	%	***	***	***	***	***
	Index	100	107	132	115	115
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
	Index	100	118	142	125	125
Sales - Domestic	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	133	163	141	141

65. it is seen that

- The installed capacity of the domestic industry increased in 2017-18 and remained the same thereafter.
- The production increased till 2018-19 and declined during period of investigation.
- The capacity utilization and domestic sales of the domestic industry followed the same trend as that of production. The capacity utilization and domestic sales of the domestic industry increased till 2018-19 and declined thereafter during period of investigation.

ii. Market share in Demand

66. Market share of the domestic industry is shown in table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Share of domestic industry	%	***	***	***	***	***
	Index	100	113	136	116	116
Share from Subject Country	%	39.43	41.71	39.81	38.44	38.44
	Index	100	106	101	98	98
Share from Other Countries	%	41.82	37.05	34.62	39.83	39.83
	Index	100	89	83	95	95

67. It is seen that the market share of the domestic industry increased till 2018-19 and declined thereafter during period of investigation. The market share of the subject country has remained approximately the same throughout the injury period and POI.

iii. Inventories

68. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Opening	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	56	58	50	50
Closing	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	104	88	126	126
Average	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	73	69	77	77

69. It is seen that the inventories with the domestic industry has declined in 2018-19 and increased during period of investigation.

iv. Profitability, cash profits and return on capital employed

70. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Profit/(Loss) per unit	₹/MT	***	***	***	***	***
	Index	100	112	90	-26	-26
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Index	100	149	146	-36	-36
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Index	100	151	148	-5	-5
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
	Index	100	141	125	-22	-22

71. It is seen that –

- The profitability of the domestic industry improved till 2017-18. The same declined thereafter and the domestic industry suffered financial losses in the POI.
- Cash profit, PBIT and return on capital employed followed the same trend as that of profits. Cash profits, PBIT and return of investment increased till 2017-18 and declined to negative levels in the POI.

v. Employment, wages and productivity

72. Employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below-

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)	
					Actual	Ann.
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
	Index	100	186	235	178	178

Employment	Nos.	***	***	***	***	***
	Index	100	96	98	98	98
Productivity per Employee	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	139	166	147	147
Productivity per day	MT	***	***	***	***	***
	Index	100	134	163	143	143

73. It is seen that

- i. The wages paid has increased over the injury period till 2018-19 and declined thereafter in the POI;
- ii. The number of employees have declined in 2017-18 and thereafter increased in 2018-19 and remained same in period of investigation ;
- iii. The productivity has increased over the injury period.

74. The domestic industry has submitted that these parameters are not reflective of the impact of dumped imports on the domestic industry.

vi. Growth

75. The growth of the domestic industry in terms of production, capacity utilization domestic sales volume, inventories, profits, cash profits and return on investment is as per given in the table below-

Particulars	Unit	2017-18	2018-19	POI (A)
Production	Y/Y	34.5	21.1	(11.9)
Domestic Sales	Y/Y	32.6	22.6	(13.5)
Cost of Sales	Y/Y	19.7	13.9	(14)
Selling Price	Y/Y	19	11	(21.1)
Profit/Loss per unit	Y/Y	12.2	(19.7)	(128.5)
ROCE %	Y/Y	8	(3.1)	(28.5)

76. It is seen that the growth of the domestic industry was negative in all macro injury parameters.

vii. Magnitude of Dumping Margin

77. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

viii. Ability to raise capital investment

78. The domestic industry has submitted that it has planned to further expand capacities. It has also conveyed that the Board of Directors of the company however took note of the adverse performance and has decided to put on hold further capital investment in the product. As per the information on record, it is noted that the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment.

ix. Factors affecting domestic prices

79. It is seen that the import prices into India are affecting the prices of the domestic industry in the market. The landed value of the subject goods from Korea and other countries under parallel investigation are below the cost and selling price of the domestic industry. Further, the domestic industry is unable to retain its prices in the market due to presence of dumped imports in the country. The imports have suppressed the prices of the domestic industry to a significant degree.

x. **Magnitude of price underselling/injury margin**

80. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in Anti-Dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
81. Landed price for the cooperating exporter has been determined from the CIF export price determined for the purpose of dumping margin determination. Applicable customs duties have been added to determine landed price of imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
82. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

S.NO	Country	Producer	NIP (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Injury Margin Range
1	Korea RP	Kumho Petrochemicals Co Ltd	***	***	***	***	0-10%
2	Korea RP	Other	***	***	***	***	20-30

H.3.4 Conclusion on continuation of injury

83. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry shows that the volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms in the POI compared to the base year. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has improved during the injury period but has declined significantly in the period of investigation. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated during the POI, and it has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the period of investigation.
84. On the basis of above analysis, it is concluded that the domestic industry has continued to suffer injury despite ADD in force.

I. CAUSAL LINK

85. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry

a) Volume and value of Imports not sold at dumped prices

86. The Authority is at present conducting antidumping investigations in respect of imports from China, European Union, Japan and Russia. These imports are prima facie at dumped prices. Imports from all other countries are at higher prices or in insignificant volumes. Thus, imports from countries other than China, European Union, Japan and Russia do not appear to have caused injury to the domestic industry.

b) Contraction in demand

87. The demand has increased over the injury period. Thus, the claimed injury to the Domestic Industry is not on account of possible contraction of demand.

c) Changes in Pattern of consumption

88. There have been no material changes in the pattern of consumption of the product under consideration. Hence, changes in the pattern of consumption have not caused injury to the domestic industry.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

89. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e) Developments in technology

90. No evidence has been brought by any interested parties about existence of significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f) Export performance of the domestic industry

91. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis. Therefore, export performance is not the cause for the injury to the domestic industry.

g) Performance of other products

92. The domestic industry has provided the injury data of domestic like product's performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicant is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**J.1. Submissions of the domestic industry**

93. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:

- a. Dumping margin determined in all previous investigations relating to the product has been positive.
- b. The subject imports have been significant despite ADD in force.
- c. Excess production capacities held by producers in subject countries are significant.
- d. The Korean producers have high export orientation.
- e. Unutilized capacities with the exporters are concerning.
- f. The Korean producers maintain significant freely disposable capacities.
- g. Imposition of ADD by China on the imports of PUC from Korea shows the unfair pricing behavior of the Korean producers/exporters as well as resultant diversion to exports of the PUC into India.
- h. Grossly manipulated questionnaire responses by Kumho Korea.
- i. The producers from the subject country have been dumping in other countries as well.
- j. India is a lucrative market for the exporters from the subject country.

- k. The exporter questionnaire response shows increase in capacities despite already existing surplus capacity, increased in Production, sales and capacity utilization till 2018 and declined POI. Inventories increased significantly over the injury period.
- l. On diversion of trade from China to India, the same is visible from increase in subject imports in POI. The high plant utilization of Korean producers is due to vast Chinese market. Now with ADD in China, the lost market would be targeted at India. Also mere change in POI in the two investigations is of no relevance. The change in EP can be taken into account while comparing.
- m. The post POI analysis is as per established practice of DGTR. To eliminate alleged impact of COVID, the DA may consider NIP and changes in RM.
- n. On increase in depreciation and finance costs, while interest cost declined, there is no alarming increase in depreciation. Decline in profits before and after depreciation and profits before and after interest is far higher.
- o. On price undercutting and injury margin based on incorrect imports, the same is positive even on actual imports.
- p. On lack of evidence for recurrence of injury in post POI, (i) there is undercutting in post POI, (ii) production and capacity utilization of DI further declined, (iii) DM and IM are positive, (iv) losses and cash losses for DI has increased. DI faces negative PBIT and negative ROCE.

J.2. Submissions of other interested parties

94. The following submissions have been made by the producer/ exporter/ other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury:
- a. No data on record shows likelihood of continuation of injury.
 - b. No significant increase in import. Increased only with demand. No increase in relation to consumption.
 - c. No excess capacity in Korea. “Surplus” can only refer to idle capacities left over after meeting domestic demand and global demand.
 - d. No price pressure or depression or suppression. PU is negligible in POI.
 - e. Post POI of 6 months is not reflective of market conditions. National lockdown in place for two and a half months. No industrial activity from 24 March 2020 to 3 May 2020. Even afterwards, many industries chose not to function. Normal activity resumed only in Sept 2020.
 - f. RBI’s monetary policy statement shows decline in economic activity and collapse of demand impacted almost all sectors. Same is evident from GDP estimates. Auto industry impacted even more. Hence, not appropriate to rely on post POI 6 months. It is requested that a post POI starting September is considered.
 - g. Post POI does not show likelihood of recurrence of dumping. Commodity prices and prices for RM of NBR has crashed globally. Hence, NBR costs reduced. Export prices also reduced but specific to Korea.
 - h. Post POI does not show likelihood of recurrence or continuation of injury. The reason for decline in production, export and domestic sales is the slump in the market and decline in demand. There is decline in exports by Respondents too. The DI has itself claimed injury due to imports from China PR, Japan, European Union and Russia

J.3. Examination by the Authority

95. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Amexure - II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.

96. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from Korea RP. Under the Rules, it is required to be determined whether continued imposition of antidumping duty is warranted.
97. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry. The examination of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry is as follows:

i. Rate of increase in imports during the period of investigation

98. The import details in the subject investigation are as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI (Apr19- Dec19)		Post POI	
					Actual	Ann.	Actual	Ann.
Subject Country - Korea RP	MT	15,288	18,427	17,916	12,997	17,330	7,593	15,187
	Index	100	121	117	113	113	99	99

99. The Authority notes that the volume of dumped imports of the product under consideration have increased till 2017-18 but declined thereafter in 2018-19, POI, and post POI. The domestic industry contended that India is the second largest export destination for Korea RP despite anti-dumping duty in force. The Authority notes that there are significant imports of the product from Korea RP during the entire injury period.

ii. Export orientation and Surplus capacities in subject country

100. The Authority notes the claim made by domestic industry in the foregoing paragraphs on surplus capacity and high export orientation. As per the data filed by the cooperative producers/exporters, the export orientation of KKPC is 80-90% which is rather high. The Authority also notes that KKPC has a surplus capacity of 0-10%.

iii. Increase in inventories

101. The Authority notes that the response from the exporter shows that the inventories with them have substantially increased.

iv. Likelihood analysis on Dumping and Injury

102. The only responding producer/exporter, i.e. Kumho Petrochemical Co. Ltd. has filed questionnaire response in the form and manner prescribed, including questionnaire response relevant for sunset review investigation. It is noted that dumping margin and injury margin for the cooperating producer and exporter from Korea RP continue to be positive during the successive reviews including the present sunset review. It is also noted that other major producer and exporter from Korea RP has not cooperated during the present investigations.

~~The Authority would conclude the findings on the basis of comments received from interested parties pursuant to issue of this disclosure statement.~~

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

103. Post- disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below

K.1 Submissions made by the domestic industry

- a. Specific issues have been raised by the domestic industry in its written submissions. These issues have not been fully responded by the exporter and therefore the questionnaire response should be rejected.

- b. There is no information provided by Kumho to establish that acrylonitrile cost reported reasonably and appropriately reflect market values. They could be at price below market values due to peculiar reason.
- c. There is no material given by Kumho addressing the key questions listed in the questionnaire with regard to valuation of butadiene. Further, the basis of valuation of butadiene is not clear. If the costs have been reported as per records maintained, it is not established how the same reasonably reflects the costs. There is no information on procurement of butadiene from different sources and how the price has been considered. It is also not answered whether the value considered is only cost of production of captive butadiene or purchase price of butadiene, or an average of the two. If an average of the two, it is not clear whether it is a weighted average of simple average or some other figure has been reported.
- d. Kumho has not identified all other captive inputs consumed. The domestic industry is aware that there are more inputs captively produced by Kumho.
- e. The issue of interest cost and SGA costs remains insufficiently addressed by Kumho.
- f. Kumho has captive and affiliate source of power and the domestic industry raised the issue of power price considered for the product under consideration. There is no response from Kumho on this issue.
- g. Domestic industry raised the issue of appropriateness and reasonableness of coal procurement prices . There is no response from Kumho on this issue.
- h. The exporter stated at the time of hearing that it has adequately reported the costs. However, the disclosure statement shows that the cost of production claimed has not been accepted. There is nothing in the submissions made by the company which can allow the domestic industry to understand how the costs were claimed, what supplementary information was filed and how the exporter satisfied the Authority with regard to appropriateness of the claim. Barring questionnaire response, nothing has been made available by the exporter to the domestic industry. Thus, it is evident that either the exporter has filed some information at the back the domestic industry or the Designated Authority has proceeded based solely on the questionnaire response. Either situation has caused significant prejudice to the domestic industry.
- i. The duty maybe imposed as fixed quantum of ADD in US\$/kg following the failure of benchmark form and the law and practice of DGTR. The same form of duty was imposed in the previous investigation.

K.2 Submissions by other interested parties

104. The following are the submissions of the other interested parties post disclosure

- a) The present sunset review proceedings are illegal and no valid continuation of anti-dumping duty can be made.
- b) The extension of the duties for one year during the pendency of third sunset review on 23 January 2014 was declared illegal.
- c) The dumping margin calculated for the KKPC is in the range of 0-10%. It is submitted that the dumping margin for the KKPC has continued to be extremely low throughout the period of 23 years during which the anti-dumping duty has been in force.
- d) There exists no likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods exported by KKPC.
- e) Similarly, the injury margin calculated for KKPC is in the range of 0-10%. It is evident that the exports made by KKPC are not causing any injury to the domestic industry.
- f) The import volumes have remained stagnant throughout the injury period and declined in POI(A) and post POI(A) as compared to previous years. The domestic industry was doing exceptionally well till 2018-19. However, it suffered losses in the POI. In this regard, it is submitted that there is no correlation between the subject imports and the losses suffered by the domestic industry.

- g) There has been a healthy improvement in its capacity, production, capacity utilization, domestic sales, market share, employment and wages parameters of the domestic industry throughout the injury period. These parameters continue to improve in the POI as well, as compared to the base year.
- h) As per the admission of the domestic industry itself, it is suffering injury from other sources. An anti-dumping investigation has been initiated by the Authority vide the Initiation no. 6/18/2020-DGTR dated 26 May 2020 concerning imports of NBR from China PR, European Union, Japan and Russia.
- i) The Authority should take into account and examine the locational disadvantages faced by the domestic industry and high cost involved in transportation of raw material to its factory.
- j) In 24 years, the business of domestic industry was restructured by the way of acquisition and merger 5 times. The last acquisition of the business in 2016 was at a price which was much lower than the price at which it was acquired in 2007. This is reflective of the unstable NBR business of the domestic industry and indicates existence of structural and systemic issues plaguing the domestic industry.
- k) The automotive industry has been facing a slowdown since 2019. NBR is a major raw material for the automotive industry, and the slowdown has affected the business volumes and margins of the domestic industry. The same has been admitted by the domestic industry as well in various hearings, Presentations and Investor Communications made by it.
- l) It is submitted that there is no legal impediment for being export oriented. Further, as can be seen in the questionnaire response filed by KKPC, the sales realization per unit for domestic as well as export sales is approximately the same.

K.3 Examination of the Authority

105. With regard to the issues raised by parties relating to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority has duly examined the relevant parameters and has recorded its findings in the relevant paragraphs of the present final findings. The Authority has examined the remaining submissions herein below.
- (a) With regard to KKPC's dumping and injury margin being low in the past investigations, it is noted that the dumping margin and injury margin for KKPC continues to be positive and above de-minimis levels in the present investigation.
 - (b) With regard to the submissions concerning volume effect and improvement in economic parameters, the Authority has addressed these issues in detail relevant headings in these final findings.
 - (c) With regard to the export orientation of KKPC, the Authority notes that while being heavily export oriented is not legally barred, it is noted that the same along with positive dumping margin for KKPC continues to be factor for the likelihood of dumping of subject goods from subject country.
 - (d) With regard to the sunset review proceedings being illegal, the Authority notes that the proceedings initiated and conducted by the Authority in accordance with the rules.
 - (e) With regard to the arguments not considered, the same have been included and examined at the relevant paras of these Final Findings
 - (f) With regard to the argument on dumping margin of Kumho Petrochemicals, it is noted that the Authority has considered the arguments of all the interested parties and the dumping margin has been determined after due consideration of all the arguments and facts of the case. The Cost of Production of M/s KKPC has been worked out on the basis of desk verification of the data/information provided. The Cost of Production has been duly adjusted for non-operating elements of income/expenditure which are not related to PUC

L. Conclusion on likely hood of dumping and Injury

106. The evidence on record show the volume of dumped imports from subject countries has increased in absolute terms in the POI compared to the base year. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales,

capacity utilization and market share of the domestic industry has improved during the injury period but has declined significantly in the period of investigation. The performance of the Domestic Industry has significantly deteriorated during the POI, and it has suffered financial losses, cash losses and negative return on investments in the period of investigation. The domestic industry has suffered continued injury during the present period. It is seen that there is a clear likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry. The dumping margin and injury margin for the cooperating producer and exporter from Korea RP continue to be positive during the successive reviews including the present sunset review. It is also noted that other major producer and exporter from Korea RP has not cooperated during the present investigations. The information on record shows that there are significant imports of the product from Korea RP during the entire injury period. The export orientation of KKPC is 80-90% which is rather high. The Authority also notes that KKPC has a surplus capacity of 0-10%. The response from the exporter shows that the inventories with them have substantially increased. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, the exporters in the subject country are likely to intensify export of the product in India at dumped prices, leading to injury to the Domestic Industry.

M. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

107. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping duties, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

N. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

108. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The subject goods continue to be exported to India from the subject country at dumped prices.
 - ii. The domestic industry has suffered continued injury.
 - iii. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and likelihood of continuation/recurrence of injury to the domestic industry in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage
109. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, causal link, and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in terms of the provisions laid down under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that extension of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority considers it necessary and recommends the extension of anti-dumping duty as modified on imports of subject goods from the subject country.
110. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(i) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of goods described at column 3 of the duty table below, originating in or exported from subject country.

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	40025900	Acrylonitrile Butadiene Rubber*	Korea RP	Any country including Korea RP	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	47.43	Per MT	US\$
2	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any other than provided in row (1)	327.12	Per MT	US\$
3	-do-	-do-	Any country other than Korea RP	Korea RP	Any	327.12	Per MT	US\$

* Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) excluding Latex NBR, Power NBR, and Carboxylate NBR

O. FURTHER PROCEDURE

111. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority